पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–21] रुड़की, शनिवार, दिनांक 04 जनवरी, 2020 ई0 (पौष 14, 1941 शक सम्वत्) [संख्या–01

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	—	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	01–45	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	01–10	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	—	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़–पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	01–05	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	—	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	—	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	01–02	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़–पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

सिंचाई अनुभाग–02

अधिसूचना

20 दिसम्बर, 2019 ई0

संख्या 1849/II–2–2019–17(24)/2016–राज्यपाल, राज्य की वर्तमान स्थिति का परिज्ञान लेते हुए तथा राज्य के उपयोज्य, पारिस्थितिकी एवं विकास अभिज्ञता पर आधारित जल संसाधन के नियोजन, विकास एवं प्रबन्धन हेतु ढाँचे प्रदान किए जाने के साथ ही सुरक्षित एवं शुद्ध पेयजल, स्वच्छता, मलजल सफाई एवं पशुधन की आवश्यकताएँ, सिंचाई, जल विद्युत, पारिस्थितिकी, वनीकरण, जैव–विविधता, पारिस्थितिकीय–पर्यटन, कृषि आधारित उद्योगों एवं अन्य उपयोगों हेतु जल की उपलब्धता को ध्यान में रखे जाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड राज्य जल नीति–2019 को अधिसूचित किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

उत्तराखण्ड राज्य जल नीति, 2019

प्रस्तावना

जल अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों में से एक है जो जीवन, जीवकोपार्जन, कृषि, सतत् सामाजिक विकास के साथ–साथ पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है, की नवीकरणीय उपलब्धता सीमित तथा क्षीणता/ह्रास व अपकर्ष के प्रति वेदनीय है। राज्य भरपूर जल संसाधन से सम्पन्न है, जहाँ इसकी उपलब्धता प्रचुर है परन्तु वहीं दूसरी ओर जल के विविध उपयोगों के मांग में वृद्धि यथा असमान वितरण, पेय और घरेलू उपयोग, सिंचाई, विद्युत (पन–बिजली) औद्योगिक आदि की मांग में वृद्धि होने के कारण इसकी अपर्याप्तता प्रकट हो रही है, जो जनसंख्या वृद्धि के साथ–साथ और अधिक बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त, राज्य को एक या सभी क्षेत्रों में बारम्बार बाढ़, भूस्खलन, मृदाक्षरण, बादल–फटने और सूखे की प्राकृतिक आपदाओं की चुनौतियों का सामना करना पड़ता हैं, इसके अतिरिक्त, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, असंगत वितरण, विभिन्न जल उपभोक्ता समूह में विवादों, जल संसाधन के नियोजन, प्रबन्धन एवं उपयोग एकीकृत परिदृश्य में अभाव होने के कारण उपयोगी जल की उपलब्धता में उत्तरोत्तर कमी होती जायेगी।

राज्य जल नीति का उद्देश्य राज्य में वर्तमान स्थिति का परिज्ञान लेना तथा राज्य के उपयोज्य, पारिस्थितिकीय एवं विकास अभिज्ञता पर आधारित जल संसाधन के नियोजन, विकास एवं प्रबन्धन हेतु ढाँचा प्रस्तावित करना है।

1. जल की उपलब्धता तथा वर्तमान परिदृश्य

1.1 उत्तराखण्ड राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र 53,483 वर्ग किलोमीटर लगभग 24,295 वर्ग किलोमीटर (45.43%) वनावरण एवं 3,550 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग 917 हिमनद हैं, जहाँ से उत्तर भारत की प्रमुख बारहमासी नदियों का उद्गम होता है। राज्य में औसतन 1,495 मिलीमीटर (मिमी) वार्षिक अवक्षेपण होती है तथा यह अवक्षेपण 53,483 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में आच्छादित होती है, जिसका आयतन लगभग 79,957 मिलियन किलोलीटर आंकलित की गई है। राज्य के जनमानस व पशुधन, कृषि तथा उद्योग हेतु आवश्यक कुल जल की जरूरत वार्षिक वर्षा–जल के मात्र 3% ही आंकलित की गई है। यद्यपि, वार्षिक अवक्षेपण स्थान और समय के सापेक्ष अत्यधिक ही असमान है और मुख्य रूप से वर्ष में केवल 100 दिन तक की सीमित होती है, जिसका अधिकांश भाग तीव्र ढलानों से बह जाता है।

1.2 राज्य के कुल लगभग 1.55 मिलियन हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में 1.13 मिलियन हेक्टेयर फसली भूमि है, जिसमें वर्तमान में लगभग 0.56 मिलियन हेक्टेयर सिंचित एवं शेष 0.57 मिलियन हेक्टेयर (मैदानी इलाकों में लगभग 12% और पर्वतीय क्षेत्रों में 88% असिंचित भूमि) अभी तक असिंचित है। वर्ष 2016–17 में उत्पादित 1.82 मिलियन टन अनाज के उत्पादन को वर्ष 2025 तक 2.5 मिलियन टन तक बढ़ाना होगा।

1.3 राज्य में उपलब्ध कुल 2.27 बिलियन घनमीटर वार्षिक पुनः पूर्तियोग्य भूजल संसाधन में शुद्ध वार्षिक भूमिगत जल की उपलब्धता मात्र 2.10 बिलियन घनमीटर है। 66% समग्र भूजल विकास के दृष्टिगत सिंचाई व घरेलू तथा औद्योगिक प्रयोजन हेतु वार्षिक भूजल–दोहन क्रमशः 1.34 बिलियन घनमीटर तथा 0.05 बिलियन घनमीटर अनुमानित किया गया है।

1.4 राज्य के जल संसाधनों के आवंटन में जल के पेयजल एवं घरेलू उपयोग को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। राज्य को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के समस्त आबादी को पर्याप्त शुद्ध पेयजल एवं मलजल–सफाई सुविधाएँ (जनधन व पशुधन दोनों के लिए) उपलब्ध कराना है।

जल विद्युत

1.5 राज्य की कुल जल विद्युत संस्थापन क्षमता 27039 मेगावाट आँकी गई है, जिसके सापेक्ष अब तक लगभग 3972 मेगावाट का दोहन ही किया जा सका है। अतः इसके लिए जल–शक्ति नीति की आवश्यकता समय की मांग है, जो पर्यावरणीय हितों के साथ जल विद्युत के विकास को संबोधित करें, क्योंकि जलविद्युत विकास तथा ऊर्जा का अनुवर्ती प्रेषण का अन्योन्य सम्बन्ध नदी के प्रति–प्रवाह, अनु–प्रवाह तथा मार्गस्थ जल एवं भूमि उपयोगों से है।

उद्योग

1.6 राज्य औद्योगिक विकास नीति के अन्तर्गत राज्य में पर्यावरणीय अनुकूल उद्योगों में तीव्र वृद्धि की परिकल्पना की गई है। राज्य की वर्तमान औद्योगिक स्थिति इसके विकास की बृहत् पैमाने पर उच्च विकास दर की आवश्यकता प्रदर्शित करती है, जिससे की उपयोज्य हेतु इसकी मांग बहुत अधिक बढ़ेगी।

पारिस्थितिकीय और स्वास्थ्य

1.7 पारिस्थितिकीय, मनोरंजनात्मक तथा अन्य प्रयोजनार्थ समुचित प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है। जल की मात्रा, इसका प्रदूषण से बचाव और जल संबंधी स्वास्थ्य खतरों के प्रति–सुरक्षोपाय का भी संज्ञान लिया जाना चाहिये।

1.8 राज्य के जल संसाधन (सतही और भूमिगत जल) की उपलब्धता की दृष्टि से और वर्तमान उपयोग की स्थिति व वर्ष 2040 तक की आवश्यकताओं की पूर्ति के दृष्टिकोण से इस सीमित संसाधन का न्यायसंगत एवं इष्टतम दोहन, उपयोग संरक्षण तथा प्रबंधन अत्यावश्यक है।

1.9 राज्य के अन्तर्गत जल–निकायों में पाये जाने वाले जलीय जैवविविधता के सुरक्षा हेतु आवश्यक कदम उठाए जायेंगे। यथोचित विधिक ढाँचे एवं उपनियमों के द्वारा झीलों व नदियों के कुछ हिस्सों का किसी भी प्रकार के दोहन को संरक्षित करने की आवश्यकता है। राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण को इस अधिनियम को सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा।

2. जल नीति की दूरदर्शिता

2.1 **जल का अधिकार**–जल उपयोग एवं आवंटन समानता तथा सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को उनके जीवन की गुणवत्ता में उत्तरोत्तर सुधार के साथ–साथ उत्तम स्वास्थ्य और स्वच्छता के दृष्टिगत सुरक्षित शुद्ध पेय–जल एवं स्वच्छता प्राप्त करने का अधिकार है।

2.2 **सभी के लिए आर्थिक, पर्यावरण एवं सामाजिक कल्याण**–राज्य के प्राकृतिक जल संसाधनों को इस प्रकार संरक्षित व व्यवस्थापित करना चाहिए कि सतत् कृषि संवृद्धि, जल–विद्युत क्षमता का अनुकूलतम दोहन और औद्योगिक–विकास आदि के प्रभावी विकासात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु उचित गुणवत्तायुक्त जल आवश्यक मात्रा में उपलब्ध हो।

2.3 **जल संसाधन के प्रबंधन एवं उपयोग में सभी सरकारी स्तरों की भागीदारी**–जल संसाधनों के संरक्षण, विकास एवं प्रबंधन में पंचायतीराज संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी एवं भूमिका होगी। राज्य सरकार के क्षेत्रीय संस्थान द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को भी जल संरक्षण और पुनर्भरण उपायों, घरेलू, वाणिज्यिक एवं उद्योगों की लगातार बदलती मांगों को सम्मिलित करते हुए मानवीय कचरा आधारित शुद्ध पेय–जलापूर्ति प्रणाली के नियोजन, परिकल्पन, निर्माण, संचालन एवं अनुरक्षण में मदद करेगी।

2.4 **जल आंवटन प्राथमिकताएँ**–प्रणाली के नियोजन तथा संचालन में राज्य की जल आवंटन प्राथमिकताएँ पेय–जल, स्वच्छता/मलजल–सफाई एवं पशुधन आवश्यकताओं, सिंचाई, पारिस्थितिकी, वनीकरण, जैव विविधता, पर्यावरणीय–पर्यटन, जल विद्युत उत्पादन, कृषि–आधारित उद्योगों, गैर–कृषि–आधारित उद्योगों, नौपरिवहन व अन्य उपयोगों हेतु विनिर्दिष्ट होगा।

2.5 **जल पारिस्थितिक**–तंत्र के संपोषण के लिए आवश्यक है। अतः जलीय–जीवन यथा वनस्पति एवं जीव–जन्तु हेतु इष्टतम पारिस्थितिक आवश्यकताओं को जल संसाधन योजनाओं के नियोजन, विकास एवं अनुरक्षण के दौरान उचित

महत्व देना होगा। विनियमित प्रणाली के तहत निम्न प्रवाह मौसम में आधार प्रवाह के अंशदान को सम्मिलित कर उच्च एवं निम्न प्रवाह निस्सरण जो नदी के प्राकृतिक प्रवाह स्थिति के अनुपातिक हो, को सुनिश्चित करते हुए नदी के न्यूनतम प्रवाह को पारिस्थितिकीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये उपयोग में नहीं लाया जायेगा। जल प्रबंधन से सम्बन्धित निर्णयों में जल संसाधन उपलब्धता पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को सम्मिलित करना होगा। जल–उपयोग की गतिविधियों को स्थानीय भू–जलवायु एवं जल–विज्ञान संबंधी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विनियमित करना होगा।

2.6 सरकार को अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर परंपरागत जल–संचयन संरचनाओं तथा जल निकायों जैसे तालाबों/झीलों के पुनरोद्धार तथा इसके अतिरिक्त अनुकूल कृषि–कार्यनीतियों एवं सस्य–स्वरूप, उन्नत जल अनुप्रयोग तरीकों (जैसे कि छिड़काव व द्रप्त सिंचाई) एवं भूमि–समतलीकरण आदि के साथ–साथ जल–भंडारण क्षमता में वृद्धि करने के लिये प्रोत्साहित करना होगा। कृषि युक्ति विकासन, मृदा–क्षरण न्यूनीकरण और मृदा–उर्वरता सुधार हेतु वैज्ञानिक निविष्टयों पर आधारित भू–मृदा–जलप्रबंधन में हितधारकों को बढ़ावा दिया जाएगा।

2.7 आदिकाल की समस्त सभ्यताएं तथा यहां तक की वर्तमान में घनी आबादी वाले शहर भी नदी के किनारे बसे हैं। विविध उपयोगों के लिये जल–संसाधनों के विकास एवं अनुरक्षण में हितधारकों/समुदायों की भागीदारी राज्य के जल के बेहतर प्रबंधन एवं सदुपयोग में तथा खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में जनसंख्या पलायन को रोकने में मदद करेगी।

नीति

1. समस्त जल संसाधनों को राज्य द्वारा सार्वजनिक न्याय सिद्धांत के तहत राज्य को मुख्य धरोहरी के तौर पर आम–जन–समुदाय–संसाधन के रूप में माना जायेगा।
2. मानवीय, सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिकी जरूरत को ध्यान में रखते हुए जल संसाधनों का नियोजन, विकास एवं प्रबंधन स्थानीय, क्षेत्रीय, राज्य तथा राष्ट्रीय संदर्भ में स्वस्थ पर्यावरणीय व्यवस्था पर आधारित सर्वनिष्ठ समेकित संदर्श द्वारा अधिनियंत्रित किया जाएगा।
3. राज्य के समस्त जल संसाधनों को मानचित्रित, राजस्व अभिलेख के रूप में सरकारी जल संसाधन निर्देशिका में सूचीबद्ध तथा उपयोगी संसाधनों की कोटि

में हर मुमकिन हद तक लाया जायेगा। राज्य के जल संसाधनों के नियोजन एवं विकास को सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न जल–प्रक्षेत्रों में झरना व नदी–नालों के अन्वेषीकरण, जल–विज्ञानी प्रमात्रण के उद्देश्य से उनके प्रवाह व गुणवत्ता का अनुश्रवण, इन संसाधनों की स्थिति, विभिन्न उपयोगों एवं दीर्घकालिक प्रचलन हेतु उनके सामयिक व्यवहार/अभाव तथा पेय–योग्यता/अनुकूलता के आधार पर विभाजित किया जाएगा।

4. पेय एवं स्वच्छता/मलजल–सफाई हेतु सुरक्षित जल को अन्य मूलभूत घरेलू (पशुधन सहित) आवश्यकताओं, खाद्य–सुरक्षा, सहायक जीवनाधार कृषि तथा न्यूनतम पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय–तन्त्र प्राप्त करने हेतु उच्च प्राथमिकता आवंटन करने के पश्चात् प्रथम जरूरत मानी जायेगी। वैज्ञानिक विनियमित प्रणाली के माध्यम से पारिस्थितिकीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नदी का न्यूनतम प्रवाह अबाध रखा जाएगा।

5. जल–विद्युत, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक उपयोग के लिए जल संसाधनों का संवर्धन भू–जल के विकास एवं सुधार तथा उनके अत्यधिक दोहन की रोकथाम के परिदृश्य में सतत् रूप से किया जायेगा।

6. जल संसाधन विकास एवं प्रबन्धन जल–विज्ञान इकाई स्तर जैसे समस्त अपवाह कछार या अपवाह, उपकछार, जल–स्त्रोतागम्, जलनिकासी, मात्रा व गुणवत्ता पहलुओं तथा पर्यावरणीय एवं टिकाऊपन विवेचनों को शामिल करते हुए दोनों सतही व भूमिगत जल को बहुक्षेत्रीय उभयनिष्ठ संसाधन के रूप में विचारण आदि हेतु नियोजित किया जाएगा।

7. जल विनियोजन प्राथमिकताएँ

जल संसाधन प्रणालियों के नियोजन एवं संचालन में जल आवंटन प्राथमिकताएँ मुख्य रूप से निम्नानुसार होगी:–

- सुरक्षित/शुद्ध पेयजल, स्वच्छता/मलजल–सफाई एवं पशुधन आवश्यकताएँ,
- सिंचाई,
- जल विद्युत,
- पारिस्थितिकीय/वनीकरण/जैव–विविधता/पारिस्थितिकीय–पर्यटन,
- कृषि आधारित उद्योगों,
- अन्य उपयोग

यद्यपि, राज्य के किसी क्षेत्र/भूभाग में विशेष पहलुओं के दृष्टिगत उक्त में आवश्यक संशोधन किया जा सकता है।

8. परियोजना नियोजन एवं प्रबंधन

8.1 **कछार नियोजन** किसी नदी कछार या उपकछार या जल–स्त्रोतागम को राज्य में जल संसाधन के परिकल्पन एवं विकास हेतु इकाई मानी जाएगी। जिसका उद्देश्य सतही अपवाह को कम करके भूजल पुनर्भरण हेतु उपयोग में लाना है। जल निकासी को भी उसका अत्यावश्यक संघटक माना जाएगा।

8.2 वृहत् परियोजनाएँ, जहाँ सम्भाव्य हो, विविध उपयोगों की प्रतिपूर्ति हेतु बहुउद्देशीय परियोजनाओं के रूप में अवधारित किया जायेगा। पेय–जल का प्रावधान प्राथमिक महत्व का होगा। परियोजनाओं के नियोजन, संरूपण, पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिक पहलुओं को ध्यान में रखकर जलागम क्षेत्र उपचार, प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास तथा कृष्य–भूमि क्षेत्र विकास को शामिल करते हुए संस्वीकृति एवं कार्यान्वयन एकीकृत तथा बहुआयामी दृष्टिकोण के अनुरूप होगा।

परियोजना तैयार करते समय निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार किया जायेगा:–

(क) परियोजना निर्माण से पूर्व एवं पश्चात् मानव–जीवन व्यवसाय तथा पर्यावरण आदि पर उसका प्रभाव;

(ख) पारिस्थितिक संतुलन पर प्रभाव एवं यदि आवश्यक हो, तो क्षतिपूर्ति उपाय;

(ग) एक स्वतंत्र संस्था द्वारा प्राथमिक रूप से पर्यावरणीय प्रभाव का आंकलन;

(घ) आर्थिक मूल्यांकन एवं सामाजिक–आर्थिक प्रभाव;

(च) अनुश्रवण तंत्र;

(छ) जल पद–चिन्ह/अनुमार्गण विश्लेषण;

(ज) वर्षा–जल संवर्धन तथा अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग;

(झ) अवधारित परियोजना की व्यवहार्यता/चिरस्थायित्वता एवं सामाजिक स्वीकार्यता;

(ट) परियोजना नियोजन अवस्था में लाभार्थियों एवं अन्य हितधारकों की सहभागिता एवं भागीदारी।

8.3 विकास की प्राथमिकताओं का उद्देश्य वर्तमान क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना भी होगा। इस संदर्भ में, जल अधिकता क्षेत्रों से अभावग्रस्त क्षेत्रों तक जल के स्थानान्तरण पर भी विचार करना होगा।

8.4 राज्य में सतही जल की उपलब्धता समय एवं स्थान के सापेक्ष असमान रूप से है तथा भूजल भी स्थान–दर–स्थान विषम रूप से वितरित है। परियोजनाओं को तैयार करते समय इस पहलू पर ध्यान दिया जाना आवश्यक होगा।

8.5 जल भंडारण परियोजनाओं से नीचे के इलाकों के जल–उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पूरे साल पर्याप्त जल निस्सारित किया जायेगा। पर्यावरण की गुणवत्ता एवं पारिस्थितिक संतुलन का संरक्षण को प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जायेगा। जिन परियोजनाओं में जल को अपने मूल–मार्ग से पथांतर करने का प्रस्ताव है, उनमें न्यूनतम पारिस्थितिकीय जल–प्रवाह को स्थानीय पारिस्थितिकी को उसकी मूल भूमिका में बनाए रखने हेतु वाहिका/नदी में बिना किसी रोक–टोक के छोड़ना होगा। वन क्षेत्रों में उनके वनस्पतियों एवं जीव–जंतुओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जल निष्कर्षण की योजना बनायी जाएगी।

8.6 परियोजनाओं क आर्थिक मूल्यांकन में विभिन्न कारकों यथा खड़ी ढलानें, तीव्र अपवाह, ढलानों की अस्थिरता, मृदाक्षरण की घटना एवं परपंरागत अधिकारों का प्रभाव तथा आदिवासी अथवा समाज के अन्य वंचित वर्गो के दस्तूरों आदि को भी ध्यान में रखा जाएगा। जहाँ तक संभव हो सके, मृदा एवं जलांश को संरक्षित करने हेतु पर्वत–ढ़लानों का आन्तरिक ढ़ालवाँकरण (सोपानन, भूदृष्य निर्माण विधि) द्वारा समतलीकरण किया जाएगा।

8.7 योजना के नियोजन के प्रथम चरण से ही जहां तक संभव हो पारिस्थितिकी–पर्यटन के विकास के लिए नदियों एवं अन्य जल–निकायों पर तथा जल–निकायों पर सभी बहुउद्देशीय परियोजनाओं में पारिस्थतिकी–पर्यटन एवं अन्य उद्देश्यों को ध्यान में रखना होगा।

8.8 पिछड़े तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति जैसे समाज के वंचित समूहों के बसे क्षेत्रों में या उनके लाभ हेतु परियोजनाओं के अनुसन्धान एवं प्रतिपादित करने हेतु विशेष प्रयास करना होगा। अन्य क्षेत्रों में, समाज के कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भी परियोजना नियोजन में विशेष ध्यान देना होगा।

8.9 उद्योगों की औद्योगिक प्रदूषकों की उगाही तथा उनके पुनः उपयोग/पुनर्चक्रण के लिए प्रोत्साहित करना होगा अन्यथा ये घातक तीव है। इसके लिए सब्सिडी/आर्थिक–सहायता और/या प्रोत्साहन की पेशकश की जा सकती हैं।

8.10 सभी हिमनदियों का अनुश्रवण किया जाएगा तथा जहरीली प्रदूषण से मुक्त रखा जायेगा। जल–स्रोतों की प्रदूषण–मुक्ति को सुनिश्चित करने हेतु कानूनों में यथावश्यक संशोधन किये जाएगें।

8.11 जल संसाधनों के नियोजन हेतु प्रमुख अपेक्षित वस्तु के तौर पर दीर्घकालिक, सही एवं विश्वसनीय आंकड़ा–आधार तैयार किया जाएगा। वर्तमान सूचना एवं आंकड़ा–संग्रह प्रणाली को आधुनिक बनाया जाना चाहिये तथा इसे और अधिक व्यापक बनाकर एवं आंकड़ा एवं प्रक्रमण क्षमताओं की गुणवत्ता में सुधार के साथ–साथ समस्त जल संसाधनों के आंकड़ा संग्रहण एवं प्रक्रमण को नियमित अद्यतन, मापन एवं निगरानी किया जाना चाहिए।

8.12 जिन परियोजनाओं में प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास एवं व विस्थापन की आवश्यकता पड़ती है, परियोजना के साथ–साथ इसे प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वित किया जाएगा।

8.13 जल संसाधनों के नियोजन में जल–संवर्द्धन पर ध्यान दिया जाएगा। व्यवहार्य परियोजनाएं विशेषकर दुलर्भ भूजल क्षेत्रों में अन्वेषण कार्य किये जाएगें तथा सतही जल की उपलब्धता में वृद्धि हेतु क्रियान्वित किये जाएगें जो भूजल पुनर्भरण में भी सहायकं सिद्ध होगा।

8.14 भूमोपयोग तथा भूमि–आवरण में बदलाव के परिणामस्वरूप जलधाराओं, नदियों के जलग्रहण क्षेत्र तथा जलभृत के पुनर्भरण प्रक्षेत्र के अभिलक्षणों में बदलाव आते हैं जो जल संसाधन की उपलब्धता एवं गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। अतः कछार/उप–कछार/जल–स्त्रोतागम/लघु जलविज्ञान इकाई स्तरों के लिये जलागम/उप–जलागम क्षेत्रों के पुनर्भरण क्षेत्र विशेषकर न्यून जल–प्रक्षेत्रों के अनुसन्धान के लिये भौगोलिक मानचित्रण किया जाएगा।

8.15 झरनाओं के आवधिक आंकलन हेतु अंकीय जल–स्त्रोतागम मानचित्रावली तैयार की जायेगी। जल–स्त्रोतों के जलभृतों भरण हेतु पुनर्भरण प्रक्षेत्र चिह्नित की जायेगी तथा जल–स्त्रोत निस्सरण एवं जल गुणवत्ता संबंधी आंकड़े एकत्र किए जायेगें। जल–स्त्रोतागम उपागम हेतु जल–स्त्रोतागम व जलसंभूर को जोड़ने की दिशा में जलभृत/जल–स्त्रोतागम को नियोजन के एक इकाई के रूप में माना जायेगा।

8.16 जल–स्त्रोतागम, जलागम/उप–जलागम प्रबंधन को व्यापक मृदा–संरक्षण, जलग्रहण क्षेत्र उपचार, वनों एवं नम भूमि का संरक्षण, वनावरण की बढ़ोत्तरी, रोक–बांध का निर्माण तथा अन्य भूजल–पुनर्भरण उपाय के माध्यम से जल

धारण उच्चतम सीमा तक बढ़ाने तथा उसके बर्बादी को कम करने हेतु बढ़ावा दिया जायेगा। सोता–जल व भूजल स्त्रोतों को एकीकृत करने की दिशा में विस्तृत जल–स्त्रोतागम प्रबंधन पद्धति का उपयोग किया जायेगा। वर्तमान के गतिमान श्रम प्रोत्साहित कार्यक्रमों यथा 'मनरेगा' तथा भविष्य में विभागीय कार्यक्रमों के साथ शुरू होने वाले अन्य समान कार्यक्रमों के अभिसरण का उपयोग किसानों को सहभागी बनाकर जोत–तालाबों, अन्य मृदा एवं जलग्रहण क्षेत्र के उपचार एवं विभिन्न जल संरक्षण उपायों के माध्यम से वर्षा जल संवर्धन करने के लिए किया जा सकता है।

8.17 राज्य में जल की मांग में वृद्धि तीव्र आर्थिक एवं औद्योगिक विकास का परिणाम है, जिससे तीव्र आर्थिक परिवर्तन एवं त्वरित उपभोक्तावाद के साथ–साथ जल की मांग भी बढ़ी है। अतः जल–नियतन इष्टतमीकरण की आवश्यकता नीति के तहत उल्लिखित जलावंटन प्राथमिकता के अनुसार भी जरूरी क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए उप–जलागम स्तर पर अतिशीघ्र होगी।

9. सुरक्षित शुद्ध पेय–जल एवं मल–जल निकासी

9.1 समानता एवं सामाजिक न्याय के सिद्धान्त अनिवार्य रूप से जल के उपयोग एवं आवंटन का संसूचित करता है। राज्य यह मान्यता देता है कि प्रत्येक व्यक्ति को आसान घरेलू पहुँच के तहत अनिवार्य स्वास्थ्य एवं स्वच्छता बावत न्यूनतम पेयजल प्राप्त करने का अधिकार है। जल के किसी भी उपलब्ध स्रोत पर जनमानस तथा घरेलू पशुओं/मवेशियों की आवश्यकता हेतु उनका प्रथम अधिकार होगा।

9.2 जल का स्वामित्व किसी व्यक्ति में नहीं बल्कि राज्य में निहित है। सामाजिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर राज्य न्याय संगत एवं कुशल वितरण सुनिश्चित करने हेतु जल आवंटित करने का अधिकार रखता है। सूखा, बाढ़ एवं अन्य प्राकृतिक एवं भूजल–संभूर के प्रदूषण जैसे मानव निर्मित आपदाओं जो जनस्वास्थ्य एवं पारिस्थितिक अखंडता को आहत करता हो, के दौरान राज्य समुदाय/हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के साथ इसके उपयोग को बदल सकता है।

9.3 पेयजल की आपूर्ति हेतु सरकार द्वारा अधिकृत संस्था को विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुसार जन–सामान्य को स्वच्छ एवं सुरक्षित गुणवत्तायुक्त पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी बनाया जायेगा तथा अन्यथा की स्थिति में सेवा प्रदाता संस्था के विरूद्ध विद्यमान विधि के अधीन विधिक कार्यवाही की जायेगी।

9.4 पुनर्भरण योग्य उथले जलीयकों के संरक्षण हेतु राज्य सार्वजनिक भागीदारों के साथ मिल कर अभिज्ञात दुष्प्राप्य क्षेत्रों में जल–निष्कर्षण का विनियमन करेगा।

9.5 शहरों एवं गाँवों के समीप उपलब्ध मुख्य जलस्त्रोतों के जल को गुरूत्व अथवा लघुडाल योजनाओं के माध्यम से जलापूर्ति हेतु उपयोग में लाया जायेगा।

9.6 जल की आवर्ती मौसमी कमी से जूझ रहे प्रत्येक क्षेत्र के लिए वर्षा जल, सतही जल एवं भूजल के संयुक्त उपयोग को जलमांग पूर्ति के वैकल्पिक तरीकों के तौर पर बल देते हुए विशिष्ट सूखा निगरानी एवं आकस्मिक योजनाएँ तैयार करनी होगी।

9.7 राज्य गम्भीर सूखे के समय कमी वाले क्षेत्रों में जल आवंटित करने के अधिकार स्थानीय निकायों को प्रदान कर सकता है तथा ये निकाय जल की व्यवस्था की निगरानी एवं विशिष्ट परिकल्पित तन्त्रावली से नियमों को लागू करेगा।

9.8 **"उत्तराखण्ड जल संसाधन प्रबंधन और नियामक आयोग" (यूडब्लूआरएमआरसी)** द्वारा निर्धारित तर्कसंगत जल–प्रशुल्क के अनुसार हर वक्त (24×7) उपयोग एवं भुगतान के सिद्धान्त पर जलापूर्ति का प्रयत्न किया जाएगा। चूँकि वर्तमान तक यूडब्लूआरएमआरसी का गठन नहीं हो पाया है। अतः यूडब्लूआरएमआरसी के गठन होने तक उत्तर प्रदेश जलसम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 के अन्तर्गत वर्णित प्राविधानों के अधीन जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था सम्बन्धित सेवाओं के लिए प्रभार लगाने एवं वसूली करने का कार्य उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा किया जायेगा। यद्यपि इष्टतम अवसंरचनात्मक सुविधाओं को प्राप्त करने के पश्चात् जलापूर्ति हेतु सेवा–स्तर का मानकीकरण किया जाएगा।

9.9 उपभोक्ता द्वारा जला आपूर्ति–लाइन में सीधे अनाधिकृत मोटर–पम्प का इस्तेमाल करने पर भारी अर्थ–दण्ड लगाया जायेगा।

9.10 जन–समुदाय समागम स्थल यथा मंदिरों, मेलों आदि स्थानों पर स्वचालित हर वक्त जलापूर्ति यंत्र (जल एटीएम) को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे गुणवत्तापूर्ण जल की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

9.11 जल मापन प्रणाली पर आधारित सहभागिता मांग–चालित पद्धति का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा ताकि जनता को उनके द्वारा वांछित सेवा का स्तर प्राप्त हो सके तथा एक तर्कसंगत प्रशुल्क–तंत्र के माध्यम से उसका भुगतान कर सके।

9.12 शहरी जलापूर्ति एवं मलजल शोधन योजनाएँ एकीकृत किया जायेगा तथा समन्वित व्यवस्था के तहत क्रियान्वित की जाएगी। तर्कसंगत प्रशुल्क के अनुसार जलापूर्ति एवं मलजल निकास–तंत्र का बीजक अलग–अलग भारित किया जायेगा। जल–प्रशुल्क दरों का निर्धारण

एवं संशोधन प्रदत्त सेवा की गुणवत्ता को जोड़ते हुए कम से कम संचालन एवं अनुरक्षण शुल्क की भरपाई करने के लिए समय–समय पर किया जाएगा।

9.13 मलजल–निकास योजना सभी शहरी एवं ग्रामीण समुदायों के लिए तैयार की जाएगी। राज्य सभी घरों को अनिवार्य रूप से मलजल–निकास संजालों से जोड़ना चाहता है। मलजल का सुरक्षित निष्कासन को चरणबद्ध तरीके से एसटीपी (मलजल उपचार संयंत्र) स्थापित कर प्रोत्साहित किया जाएगा। तत्पश्चात् उनके संचालन एवं अनुरक्षण को उपयुक्त तरीके से बढ़ावा दिया जाएगा।

9.14 आदिवासियों या अन्य वंचित समूहों जैसे सामाजिक रूप से कमजोर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों के हितों के लिए पेय जल एवं स्वच्छता परियोजनाओं का अन्वेषण एवं प्रतिपादन हेतु विशेष प्रयास किए जायेंगे।

9.15 सभी जल संसाधन विकास कार्यक्रमों में घरेलू जल के प्रयोक्ता एवं प्रबंधक के रूप में महिलाओं की केन्द्रीय भूमिका निर्धारित किया जाएगा। जल संसाधन कार्यक्रमों के नियोजन, विकास एवं प्रबंधन योजना तैयार करने में महिलाओं को सहभागी बनाया जाएगा।

9.16 समुदायों को शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सभी जलापूर्ति एवं मलजल–निकास तंत्र की समस्त क्रिया–कलापों पर केन्द्रित करनी होगी। **"जल एवं जलागम प्रबंधन समिति" (डब्लूडब्लूएमसी)** के माध्यम से ग्राम, क्षेत्र, जिला एवं शहर स्तर पर गठित पंचायती राज संस्थाओं की जलापूर्ति एवं मलजल–निकास परियोजना के नियोजन, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण में अहम् भूमिका होंगी। इस क्षेत्र के विकास में पंचायती राज संस्थाओं को सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की संस्थाओं एवं गैर सरकारी संगठनों के साथ–साथ अन्य सभी हितधारकों की गतिविधियों के माध्यम से समन्वित सहयोग देना होगा।

9.17 राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्थित अधिकांश सतही जलस्रोत प्राकृतिक आपदाओं तथा अत्यधिक वर्षा से बाढ़ का खतरा एवं अचानक बादल फटने की घटना आदि के प्रति अतिसवेंदनशील है, इसलिए पेयजल आपूर्ति एवं मलजल–निकास तन्त्र अवसंरचनाओं की सुरक्षा हेतु वर्षाजल के प्रबंधन व उसकी तीव्रता को कम करने के लिए पर्याप्त बाढ़ सुरक्षा संशोधन–गुंजाइश् तथा अल्पीकरण उपायों का प्रावधान करना होगा।

भू–जल

9.18 परियोजना के नियोजन स्तर से ही झरना–जल, सतही जल एवं भूजल संसाधनों के समेकित एवं समन्वित विकास तथा उनके संयोजित उपयोग संकल्पित किया जाएगा, जो परियोजना क्रियान्वयन का एक अभिन्न घटक होगा। अतएव, झरना व भूमिगत जलों तथा अग्रेतर झरना व नदी के जलों के मध्य कड़ी को जानने की आवश्यकता है।

9.19 सामाजिक सहभागिता के साथ विस्तृत जल–स्त्रोतागम प्रबंधन पद्धति के माध्यम से झरना–जल के विकास, प्रबोधन एवं प्रबंधन हेतु एक सहभागी भूजल प्रबंधन (पी0जी0डब्ल्यू0एम0) विकसित किया जायेगा।

9.20 भू–जल क्षमता का समयबद्ध पुनर्मूल्यांकन इसके उपलब्धता की गुणवत्ता एवं उचित निष्कर्षणों की आर्थिक व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए करना होगा। भूजल के पुनर्भरण क्षेत्र का मानचित्रण एवं इसका संरक्षण सुनिश्चित करना होगा।

9.21 भूजल संसाधनों के दोहन को इस प्रकार विनियमित किया जाएगा कि यह पुनर्भरण की संम्भावनाओं से अधिक न हो तथा सामाजिक समानता भी सुनिश्चित की जा सके। इसके अतिरिक्त, भू–जल दोहन परियोजनाओं की परियोजना लागत में वार्षिक संचालन एवं अनुरक्षण प्रभार भी सम्मिलित किए जा सकते हैं। संवदेनशील/दुर्गम क्षेत्रों में भूमिगत जल दोहन परियोजनाओं में भू–जल पुनर्भरण को शामिल करना अनिवार्य होगा।

9.22 भूजल संसाधनों की गुणवत्ता एवं उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भूजल पुनर्भरण परियोजनाओं को विकसित एवं कार्यान्वित किया जाएगा।

9.23 राज्य द्वारा हैण्ड पम्प/चापाकल कार्यक्रम को उत्तरोत्तर मुख्य मार्ग से दूर पुनर्विन्यासित करना होगा तथा इसे हटाकर उन स्थानों पर लगाना होगा, जहाँ भू–जल पुनर्भरण की योजनाएँ लागू की गई हैं। सभी हैण्ड पम्प/चापाकल की भौगोलिक सूचना तंत्र (जीआईएस) मानचित्रित होगा तथा स्थानीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा अनुरक्षित/संचालित किया जाएगा।

9.24 विद्यमान भूजल संसाधन को क्रांतिक, अर्द्ध–क्रांतिक, अतिदोहित एवं सुरक्षित प्रक्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाएगा तथा अग्रेतर अतिदोहित व क्रांतिक प्रक्षेत्रों पर तद्नुसार विशेष ध्यान देते हुए विभिन्न प्रक्षेत्रों में भूजल को विनियमित किया जाएगा।

9.25 सार्वजनिक एवं निजी संस्थाओं यथा निजी अपार्टमेंट/कुनबा, होटल, ढाबा, मॉल, उद्योग आदि द्वारा वाणिज्यिक उपयोग हेतु भूमिगत जल के निष्कर्षण/दोहन को विनियामक उप–नियमों के अन्तर्गत प्रतिबंधित करना होगा एवं मौकानुसार भूजल

स्तर के लिए एक निश्चित उपभोग सीमा तय करनी होगी तथा निश्चित भूजल स्तर बरकरार रखने के लिए वर्षा जल संवर्धन/पुनर्भरण अनिवार्य करना होगा।

10. सिंचाई

10.1 राज्य में सिंचाई हेतु बड़ी मात्रा में जल का उपयोग होता रहा है। उत्तरोत्तर पंचवर्षीय योजनाओं में लगभग 38% कृषि–योग्य भूमि को सिंचाई सुविधा प्रदान की गई है। इसके लिए निम्नलिखित दो–आयामी कार्यनीति की आवश्यकता है:–

(i) अप्रयुक्त संसाधनों का दोहन, एवं

(ii) पूर्व में दोहन किए गए संसाधनों के प्रबंधन में गुणात्मक सुधार।

(I) **अप्रयुक्त संसाधनों का दोहन**–इस संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जाएगी:–

- सतही एवं भूमिगत जल दोनों के सम्बन्ध में वर्ष 2040 के परिप्रेक्ष्य में कार्य–योजना को तैयार किया जायेगा। क्रियान्वयन कार्यक्रम को इस प्रकार सुनिश्चित किया जाएगा कि निधि, विशेषज्ञता, उपकरण एवं प्रशिक्षित श्रमशक्ति को इष्टतम परिणाम की प्राप्ति हेतु समान रूप से विकसित किया जा सके।

- जल संसाधन परियोजनाएँ, विशेष रूप से बहुउद्देशीय परियोजनाएँ जो राज्य के बृहद् हित में आवश्यक है एवं जिनमें दीर्घकालिक निवेश किए गए हैं, उनमें कार्य–योजना के अनुसार इस प्रकार निर्णय लिया जाएगा कि परियोजनाएँ समय पर पूर्ण हो जाएँ।

- परियोजनाएँ स्वपोषनीय होंगी चूँकि कृषि हेतु सिंचाई एक आवश्यक निविष्ट (INPUT) है तथा जलमूल्य का व्यापक आर्थिक प्रभाव होता है इसलिए उक्त के निमित्त **"उत्तराखण्ड जल प्रबंधन और नियामक अधिनियम, 2013"** के अन्तर्गत **"उत्तराखण्ड जल संसाधन प्रबंधन और नियामक आयोग" (यूडब्लूआरएमआरसी)** का गठन प्रस्तावित किया गया है।

(II) **सिंचाई जल का प्रबंधन**–सिंचाई के क्षेत्र में किए गए निवेशों से प्राप्त होने वाले अनुमानित लाभों के लिए संवर्धित जल का कुशल प्रबंधन, वैज्ञानिक एवं किफायती उपभोग तथा संरक्षण अत्यावश्यक है। वर्तमान परिदृश्य में इस क्षेत्र में गुणात्मक सुधार की पर्याप्त सम्भावनाएँ है।

➢ समग्र जल एवं प्रस्तावित उपभोग का लेखा रखा जाएगा तथा समय–समय पर इसका परीक्षण किया जाएगा। जल उपलब्धता एवं खेत की प्राथमिकताओं द्वारा निर्धारित जरूरतों के अनुसार आपूर्ति के त्वरित समायोजन को सक्षम बनाने हेतु इन प्रणालियों को संगत तकनीक अनुप्रयोगित युक्ति का उपयोग करने की व्यवस्था प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित पहलुओं पर विशेष रूप से विचार किया जाएगा:–

- उपलब्धता एवं आवश्यकताओं की प्राथमिकतानुसार इष्टतम उपयोग के लिए प्रणाली का संचालन सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त एवं उचित प्रबंधन सूचना तंत्र (एम0आई0एस0)।
- हानि को कम करने के लिए परस्पर निम्नलिखित उपायों को अपनाया जाना चाहिए :–

I) नहरों में लाइनिंग/आस्तरण का समुचित प्रयोग ;
II) नहरों के कटाव एवं अन्य तरीकों से होने वाले अनधिकृत उपयोग की जांच करना।

➢ भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पुराने नहरों/गूलों का आधुनिकीकरण व नवीनतमीकरण किया जाएगा।

10.2 खेत स्तर पर जल का सर्वाधिक सदुपयोग करने के लिए 'जोत प्रबंधन' को उच्च प्राथमिकता के आधार पर पहल करनी होगी जिसमें इसके वितरण में निष्पक्षता एवं देयराशि की उचित वसूली सुनिश्चित किए जाए।

- कृषि–योग्य भूमि के सुधार एवं विकास (जैसे खेतों का समतलीकरण, जल–वाहिका/नहर का सुधार एवं अनुरक्षण आदि) पर जोर दिया जाएगा।
- कृषि उत्पादन के लिए जल का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली यथा छिड़काव एवं द्रप्त सिंचाई तथा उन्नत कृषि प्रणाली का अंगीकरण।
- क्षेत्र विशेष हेतु कम जल की खपत वाली उपयुक्त फसल पद्धति को अपनाना।

10.3 सिचांई योजनाओं के प्रस्ताव से पूर्व योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण से सम्बन्धित सर्वनिष्ठ मनोदशा हासिल करने हेतु उपभोक्ता समूहों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करना बेहतर होगा। सभी हितधारकों के दायित्वों के साथ–साथ परिचालन व्यय, कृषक विकास संघ (के0वी0एस0) का गठन एवं कृषि, उद्यान, मत्स्य पालन तथा पशुपालन जैसे समानांतर विभागों द्वारा प्रदान

किए जाने वाले निविष्ट (INPUT) योजना की डी0पी0आर0 का एक अनिवार्य घटक होगा।

10.4 जहां तक संभव हो, सभी सिंचाई योजनाएं स्वचालित तथा नवीकरणीय ऊर्जा–स्रोतों (यथासौर ऊर्जा) द्वारा चालित होगीं। इन योजनाओं का उत्तरोत्तर संचालन कृषक विकास संघ (के0वी0एस0) के माध्यम से बाह्य–स्रोत द्वारा कराया जाएगा जिसमें योजना के उत्तरवर्ती संचालन एवं अनुरक्षण हेतु उपभोग शुल्क का एक भाग अपने पास रखने की अनुमति भी होगी।

10.5 सिंचाई प्रणाली में जल आवंटन निष्पक्ष समानता एवं सामाजिक न्याय को ध्यान में रखकर किया जाएगा। नहर के शीर्ष एवं अंतिम छोर के कृषकों तथा बड़े एवं छोटे खेत के बीच जल की उपलब्धता में असमानताएं तर्कसंगत वितरण प्रणाली को अपनाकर तथा खास सीमा एवं तार्किक दरों के अंतर्गत आयतनानुसार जलापूर्ति कर दूर किए जाएगें। सिंचाई प्रणाली के अंतर्गत जल का समान आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु समुचित विवाद–निराकरण व्यवस्था तंत्र स्थापित की जाएगी।

10.6 सभी सिंचाई परियोजनाओं में सिचांई–क्षमता का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए जलागम क्षेत्र विकास पद्धति अपनाया जायेगा जिससे अनंतर सृजित क्षमता तथा उपयोज्य क्षमता के बीच का अंतर कम हो सके।

बाढ़ नियंत्रण एवं प्रबंधन

10.7 स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् योजनाबद्ध विकास के प्रारंभ से बाढ़ नियंत्रण एवं इसका प्रबंधन राज्य के प्रयासों में शामिल रहा है। बाढ़ एक बेसिन/द्रोणी समस्या है जो किसी राज्य/क्षेत्र में सीमित नहीं रहती है।

10.8 प्रत्येक बाढ़ प्रवृत्त कछारों हेतु बाढ़ नियंत्रण एवं आपदा प्रबंधन की एक महायोजना तैयार की जाएगी। नदी कछार के साथ में सीमागुल्म एवं जल–अवशोषक के रूप में कार्य करने हेतु वनीकरण को प्रोत्साहित करना होगा।

10.9 बेहतर जल–प्रलय बंदोबस्त हेतु जल भंडारण परियोजनाओं में जहां तक संभव हो, पर्याप्त बाढ़–सुधार गुंजाइश का प्रावधान किया जाएगा। जलाशय निनियमन नीति के अंतर्गत अत्यधिक बाढ़ प्रवृत्त क्षेत्रों में सिंचाई एवं विद्युत के कुछ लाभों का परित्याग कर भी बाढ़ नियंत्रण को प्राथमिक महत्व दिया जा सकता है।

10.10 राज्य में नदियों/गधेरों के तटीयकरण जैसे भौतिक बाढ़ सुरक्षा कार्य किये जा रहे हैं। तटबंधों, पुलिनरोध एवं बंधों का निर्माण आवश्यकतानुसार जारी रखा जाएगा तथा नुकसान को कम करने के लिये "उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012" के प्रावधानों का कठोरता से पालन किया जाएगा। बाढ़ नियंत्रण एवं प्रबंधन कार्यक्रम में सम्मिलित करते हुए नदी के संवेदनशील

भागों में वैज्ञानिक तरीके से तलकर्षण/मलवा–निष्कासन द्वारा नदियों के नैसर्गिक जलधारा को पुनः स्थापित किया जाएगा।

10.11 बाढ, पूर्वानुमान की गतिविधियों को वास्तविक काल के आंकड़ों की अधिग्रहण प्रणाली का उपयोग कर के आधुनिकीकृत किया जाएगा तथा पूर्वानुमान प्रतिरूप से जोड़ा जाएगा। इसके अतिरिक्त, इन क्रियाकलापों को मानयोजित करने के पश्चात् इसकी उपयोगिता को बढ़ाने तथा अनावृत्त क्षेत्रों तक विस्तार में उपयोग किया जाएगा। जलाशयों में अंतर्वाह का पूर्वानुमान उनके प्रभावी विनियमन हेतु किया जाएगा।

10.12 नवीन संरचनाओं का स्थान या पुरानी संरचनाओं का पुनः स्थान निर्धारित करते समय नदियों की आकृति–विज्ञानी अध्ययन किया जायेगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ये मुख्यतः उच्चतम बाढ़ स्तर (एच0एफ0एल0)/बाढ़ क्षेत्र से बाहर रहें। हालॉ कि, यदि ऐसा करना संभव न हो, तो इन संरचनाओं की सुरक्षा के लिए पर्याप्त बाढ़ सुरक्षा उपाय का प्राविधान किया जाएगा।

10.13 <u>नदियों एवं सहायक नदियों द्वारा भू–क्षरण</u>

नदियों द्वारा भूमि के अपक्षरण को पुश्ता/बंध, पुलिनरोध, तटबंध जैसे किफायती संरचनाओं का निर्माण कर कम किया जाएगा तथा मृदा–क्षरण एवं आकस्मिक बाढ़ की रोक–थाम के लिए वर्षाजल संवर्धन रचनाओं के निर्माण को प्रोत्साहित किया जायेगा। राज्य को नदी के तटों पर अवैध अतिक्रमण एवं भूमि का अनुचित प्रयोग को बढ़ावा न मिलने पाए, के लिए कठोर कदम उठाना पड़ेगा। नदियों के तटों एवं तली पर आर्थिक गतिविधियां विनियमित करनी होगी। नदी कछारों में वनीकरण को आड़ तथा जल–अवशोषक के रूप में कार्य करने के उद्देश्य हेतु बढ़ावा दिया जाएगा

<u>सूखा संभावित क्षेत्र विकास</u>

10.14 सूखा संभावित क्षेत्रों में सूखाग्रस्तता की समस्याओं को मृदा–जल संरक्षणोपाय, जल–संवर्धन, वाष्पीकरण–क्षय न्यूनीकरण, भूजल पुनर्भरण एवं अत्यधिक सतही जल वाले क्षेत्रों जहां व्यवहार्य व जरूरी हो, से जल का स्थानांतरण आदि को अपनाकर कम संवेदनशील बनाया जाएगा। चारागाह, वानिकी या अपेक्षाकृत कम जल की आवश्यकता वाले विकास के अन्य तरीकों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

10.15 सूखाग्रस्त जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए शुरू किये गये राहत–कार्य को सूखा–न्यून बनाने के उद्देश्य से प्राथमिकता के साथ करनी

होगी। जल–संसाधन–विकास परियोजनाओं के नियोजन में सूखाग्रस्त क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

जलवायु परिवर्तन अनुकूलन

10.16 जलवायु परिवर्तन से जल संसाधनों के परिवर्तन की संभावना में वृद्धि होती है इसलिए राज्य को जलवायु–तन्यक तकनीकी पहलुओं को अपनाने हेतु समुदाय की क्षमता को बढ़ाने के लिये प्रयास करना होगा।

10.17 विभिन्न कृषि कार्यनीतियों, फसल पद्धतियों एवं बेहतर जल उपयोग के तरीकों जैसे छिड़काव एवं टपका सिंचाई आदि समस्त सिंचाई योजनाओं में जल उपयोग दक्षता को बढ़ाने के साथ ही जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न परिवर्तनशीलता से निपटने की क्षमता में भी वृद्धि हेतु शामिल किया जाएगा। इसी प्रकार, औद्योगिक प्रक्रियाओं को और अधिक जल–किफायत बनाया जाएगा।

10.18 हितधारकों के भागीदारी को भूमि–मृदा–जल प्रबंधन में विभिन्न कृषि कार्यनीतियों, भू–क्षरण न्यूनीकरण एवं मृदा–उर्वरता विकसित करने को बढ़ावा दिया जाएगा। जैविक कृषि को यथा संभव मूलभूत अवसंरचनाओं तथा राज्य की सीमा के अन्दर–व–बाहर जैविक–विपणन संस्थाओं का विकास कर प्रोत्साहित किया जाएगा।

10.19 जल संसाधन संरचनाओं यथा बांध, बाढ़ सुरक्षा तटबंध आदि के नियोजन एवं प्रबन्धन में संभावित जलवायु परिवर्तनों का सामना करने की कार्यनीतियों को सम्मिलित किया जाएगा। विद्यमान छोटे एवं बड़े जलाशयों/तालाबो की जल संचयन क्षमता को बढ़ाया जाएगा जो, उक्त के साथ–साथ अन्य पारंपरिक जल संवर्धन संरचनायें यथा झील/तालाब/धारा/नौला/खाल/चाल आदि के पुनरूद्धार भी सम्मिलित करेगा।

11. सहभागिता सिद्धांत

11.1 जल एक सर्व–सामूहिक संसाधन के रूप में राज्य द्वारा सामुदायिक संस्थाओं की भागीदारी से व्यवस्थापित, संरक्षित व परिरक्षित किया जाता है। जल संसाधन परियोजनाओं को इस प्रकार से प्रबंधित किया जाएगा कि सहभागिता सिद्धान्त को बढ़ावा मिले तथा जिससे स्थानीय समुदायों एवं हितधारकों खासकर महिलाओं को जल–उपभोग शुल्क की वसूली सहित जल सम्बन्धित योजनाओं के नियोजन, परिकल्पन, विकास एवं प्रबन्धन के विभिन्न पहलुओं में प्रभावी एवं निर्णायक रूप में सहभागी बनाया जाये।

11.2 महिलाओं के लिए अधिक सार्थक निर्णय लेने की भूमिका सुनिश्चित करने के लिये विभिन्न स्तरों पर आवश्यक नियमों तथा संस्थागत परिवर्तन किये जायेगें। जल उपभोक्ता संगठनों तथा स्थानीय निकायों यथा नगर पालिका एवं ग्राम पचायंत को विशेष रूप से जल से सम्बन्धित अवसंरचनाओं/सुविधाओं के संचालन, अनुरक्षण एवं प्रबंधन में उचित स्तर पर उत्तरोत्तर इसका समावेश इस दृष्टिकोण से किया जाएगा कि इन सुविधाओं का प्रबंधन उपभोक्ता वर्गो/स्थानीय निकायों को अंततः स्थानांतरित किया जा सके।

12. जल–विद्युत विकास

12.1 **लघु जल विद्युत परियोजनाएं**–राज्य में लघु जल विद्युत उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं तथा जहां भी संभाव्य हो, इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। सूक्ष्म–जल विद्युत पद्धतियों के द्वारा जल विद्युत उत्पादन को विकेंद्रीकृत करने की आवश्यकता है। इन जल–विद्युत के उत्पादन एवं तत्पश्चात् ऊर्जा–प्रेषण, प्रतिप्रवाह, अनुप्रवाह व मार्गस्थ जल तथा भूमि उपयोगों से सीधे–सीधे सम्बन्धित है जो समंजन के समझौते में समन्वय व सहयोग की मांग करती है जिसे स्थानीय समुदाय के समग्र हित में सभी सम्बन्धित हितधारकों को शामिल करते हुए विचार–विमर्श के द्वारा सहमत कराया जा सके।

12.2 **जल–मिल/घराट**–राज्य स्तर पर जल–मिलों/घराटों की अवस्थिति एवं क्षमता की विस्तृत सूची तैयार की जायेगी जिसके आधार पर जल–मिलों/घराटों हेतु नीति तैयार की जायेगी। जल–मिलों/घराटों की परंपरागत ग्रामीण–प्रौद्योगिकी पुनजीर्वित किया जाएगा तथा बहु–उपयोगों हेतु आधुनिकीकृत किया जाएगा। ग्राम पंचायत अनुज्ञप्ति प्रदान कर तथा उनसे प्रशुल्क संग्रहकर अपनी सीमा में स्थित जल–मिलों/घराटों के संचालन को विनियमित करने के लिये विधिक रूप से अधिकृत होगें। ग्राम–पंचायतों द्वारा निजी संस्थाओं, गैर–सरकारी संगठनों तथा सरकारी संस्थाओं, बैंकों/अधिकोषों से जल–मिलों/घराटों के उच्चीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्राप्त की जा सकती है।

12.3 **मध्यम एवं बड़े जल विद्युत/बहुउद्देशीय परियोजनाएं**:–बड़े बांध या प्रमुख बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण से विभिन्न तर्कनीय मुद्दे यथा परिकल्पन एवं संरचना की सुरक्षा, विवर्तनिक–हरकत के कारण भूकंप पहाड़ी ढलान अस्थिरता, पुनर्वास, स्थानांतरगमन, पर्यावरणीय आदि जुड़े होते हैं फिर भी राष्ट्रीय अथवा लोगो के वृहत हित में इन परियोजनाओं के निर्माण को खारिज नहीं किया जा सकता है। फलतः इन परियोजनाओं का स्वीकरण आवश्यकतानुसार की जाएगी तथा उल्लिखित सभी मुद्दों को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व संज्ञान में लिया जाएगा तथा समाधित किया जाएगा। जल

संसाधन परियोजनाओं, विशेषकर जल विद्युत परियोजनाओं के नियोजन व विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा जो वित्तीय संसाधन जुटाने एवं दक्षता को सुधारने में सहायक सिद्ध हो सकता है।

13. **जल गुणवत्ता**

13.1 जल कि विभिन्न प्रयोगों यथा पेय, अन्य घरेलू उपयोग, पशुधन, सिंचाई, उद्योग इत्यादि हेतु जल की गुणवत्ता मानदंडों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट/अधिसूचित किया जाएगा और जल की गुणवत्ता में प्रभावी सुधार हेतु इसकी लगातार समीक्षा की जाएगी। सतही एवं भूजल की गुणवत्ता की नियमित रूप से निगरानी की जाएगी।

13.2 भूजल में किसी भी प्रकार के प्रदूषण/मिलावट को रोकने हेतु प्रवाही अपशिष्ट जल उत्पादन करने वाली औद्योगिक इकाइयों का अपना स्वयं शोधन संयंत्र होगा तथा अपशिष्ट जल का शोधन विनिर्दिष्ट मानक तक किया जाएगा तत्पश्चात् इसे पुनर्चक्रित किया जायेगा तथा इसका पुनरूपयोग नगर पालिका मलजल नाले में विसर्जित और/या जमीन पर बहाने से पूर्व सिंचाई एवं अन्य प्रयोजनों के लिये किया जाएगा जिसे यथोचित प्रोत्साहित भी किया जाएगा।

13.3 अत्यंत न्यून भूजल–स्तर अभिज्ञातित शहरी इलाकों में किसी व्यक्ति/उपनिवेशक द्वारा किसी भी जल–स्त्रोत/जलनिकाय/नदी/गधेरों तथा बोर/बेधित कुओं में फैलाये गये प्रदूषण एवं अतिक्रमण को संज्ञेय अपराध माना जाएगा।

14. **जल संरक्षण, संवर्धन तथा परिरक्षण**

14.1 जल–संसाधन को सरंक्षित किया जाएगा तथा इनकी उपलब्धता को जलग्रहण क्षेत्र में जल–धारण क्षमता के अधिकतमीकरण, प्रदूषण न्यूनीकरण एवं चाल–खाल का निर्माण, जल–संवहन तन्त्र की समुचित आस्तारण, वर्तमान जल वितरण प्रणाली का उच्चीकरण व आधुनिकीकरण, छत वर्षाजल संवर्धन, शोधित गंदे पानी का पुनर्चक्रण व पुनरोपयोग, जहां संभव हो, विकसित जल अनुप्रयोग तकनीक (ड्रिप/द्रप्त एव स्प्रिंकलर/छिड़काव सिंचाई) आदि उपायों को अपनाते हुए जल–अपव्यय को परिवर्जित कर सवंर्धित किया जाएगा।

14.2 विभिन्न गैर–पारंपरिक उपाय जैसे भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण एवं परंपरागत जल संरक्षण प्रचलनों जैसे छत वर्षा जल संवर्धन के साथ–साथ वर्षा जल संवर्द्धन, परिवेध–कूप, प्राकृतिक श्रेणीबद्ध चूषण–गर्त को बढ़ावा दिया जाएगा तथा आर्थिक मदद भी की जाएगी।

14.3 उद्योगों तथा अन्य व्यावसायिक परियोजनाओं (यथा मॉल, हाउसिंग आदि) द्वारा सतही एवं भूजल के अत्यधिक दोहन को कठोर दंडात्मक कार्यवाही का

प्रावधान करते हुए उपयुक्त अधिनियम बनाकर सख्ती से विनियमित किया जाएगा।

14.4 जल को एक अपर्याप्त संसाधन के रूप में जागरूकता फैलाने को बढ़ावा दिया जाएगा तथा जल के सभी विविध उपयोगों में इसके किफायती एवं इष्टतम उपयोग को विनियमन एवं प्रोत्साहन के द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

14.5 विशेषकर राज्य के पर्वतीय भू–भागों में चीड़ वृक्ष के स्थान पर पर्णपाती वन यथा बांज, बुरांस एवं अन्य चौड़ी पत्ती प्रजाति के पौधे के वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जाएगा, जो जल संरक्षण में सहायक होगा। अग्रेत्तर चीड़ वृक्ष प्रजाति का चरणबद्ध तरीके से उन्मूलन किया जाएगा।

14.6 नई खोज हेतु सुधार एवं क्रमिक उपाय, जल–संसाधनों व झील/तालाब जैसे परंपरागत जल–निकायों का किफायती उपयोग, उनका संरक्षण व पुनर्जीवनीकरण सक्रियता से प्रोत्साहित किया जाएगा तथा पेय–जल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखंड शासन के आदेश दिनांक 14.07.2016 के अनुसार समुचित आर्थिक मदद दी जाएगी।

15. <u>नदी प्रवाह–मार्गो, जल निकायों एवं अवसंरचनाओं का संरक्षण</u>

15.1 जल–निकायों, नदी तथा जल–वाहिकाओं की भण्डारण क्षमता और/या उनसे सम्बद्ध नम–भूमि, बाढ़–मैदान, पारिस्थितिकी प्रचय क्षेत्र तथा किसी विशेष मनमोहक मनोरंजन व/या सामाजिक जरूरतों हेतु आवश्यक भूमि का प्रबंधन संभावित सीमा तक वैज्ञानिक व एकीकृत तरीके से विशेषकर शहरी क्षेत्रों का सुनियोजित विकास के द्वारा तत्कालीन नियमों के अनुरूप जल प्रलय, पर्यावरण तथा सामाजिक मसलों को संतुलित करने के लिये किया जाएगा।

15.2 जल–निकायों, (जैसे जल–स्त्रोतों, नदियों, झीलों, हौजों, तालाबों आदि) तथा जल–निकास प्रणाली (सिंचाई क्षेत्र व शहरी क्षेत्र जल–निकासी) के अतिक्रमण एवं पथांतरण की अनुमति नहीं दी जाएगी एवं जहां कहीं भी ऐसा घटित हुआ है इसे व्यवहार्य एवं समुचित रूप में पुनः व्यवस्थित किया जाएगा।

15.3 नदियों, नहरों तथा अन्य जल निकायों में जल प्रदूषण को रोकने हेतु कपड़े आदि धोने को हतोत्साहित किया जायेगा ।

15.4 जलाशयों/जल–निकायों के ऊपरी संरक्षित क्षेत्रों में शहरी बसावट, अतिक्रमण व अन्य विकास गतिविधियों, प्रमुख जलभृत पुनर्भरण क्षेत्रों जो संदूषण, प्रदूषण, ह्रासित पुनर्भरण के खतरों से ग्रसित हो तथा वे क्षेत्र जहां वन्य व मानव जीवन जोखिम भरा हो, का विनियमन कठोरता से किया जाएगा।

15.5 हिमालयी क्षेत्रों की पर्यावरणीय आवश्यकताओं, जलीय पारिस्थितिकीय–तन्त्र, आर्द्र–भूमि तथा तटबंधित बाढ़ के मैदानों का पहचान किया जाएगा तथा नियोजन में समावेश किया जाएगा।

15.6 जल एवं जल निकायों के स्रोतों को प्रदूषित करने की अनुमति बिल्कुल नही दी जाएगी। तृतीय/स्वतंत्र पक्ष आवधिक निरीक्षण तन्त्र लागू किया जाएगा तथा **"उत्तराखण्ड जल प्रबंधन और नियामक अधिनियम, 2013"** के अन्तर्गत प्रदूषण के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध कठोर दंडात्मक कार्यवाही किया जाएगा।

15.7 नदी तल सामग्री (आरबीएम) का छीजन **"उत्तराखंड माइनर/क्षुद्र खनिज (रेत, बजरी, बोल्डर, ईंट आदि) नीति, 2015"** के प्रावधानानुसार पर्यावरण संबंधी पहलुओं तथा जैव विविधता हेतु अधो–सतही प्रवाह को बरकरार रखते हुए वैज्ञानिक तरीके से किया जाएगा।

15.8 राज्य में विधिक रूप से अधिकृत बांध–सुरक्षा सेवाओं को सुनिश्चित किया जाएगा, भारत सरकार द्वारा जारी किये गए दिशा–निर्देशानुसार प्रत्येक बांध में अनुप्रवाह बाढ़ प्रबंधन को सम्मिलित करते हुए उपयुक्त सुरक्षोपाय का कार्य शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा।

15.9 सी एंड डी (निर्माण एवं ध्वस्तीकरण) मलबा/अवशिष्ट–सामग्रियों को किसी भी जल निकाय/नदी/गधेरों/पहाड़ी ढलान आदि में निस्तारण नहीं किया जाएगा। प्रत्येक स्थानीय शहरी निकाय निर्माण एवं ध्वस्तीकरण अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली, 2016 के अनुसार निर्माण एवं ध्वस्तीकरण मलवा का प्रसंस्करण एवं निस्तारण सुनिश्चित करेगा।

16. **जल का लेखा–परीक्षण एवं उत्तरदायित्व**

16.1 जल उपयोग प्रशुल्क (टैरिफ़) जल के किफायती उपयोग तथा प्रतिफल को सुनिश्चित करेगा। सभी हितधारकों के साथ वृहद विचार–विमर्श के पश्चात् स्वच्छता, कृषि एवं औद्योगिक, पेय एवं अन्य सभी उपयोगों के लिए जल का उचित तर्क संगत प्रशुल्क एक स्वतंत्र संस्था **"उत्तराखण्ड जल संसाधन प्रबंधन और नियामक आयोग" (यूडब्लूआरएमआरसी)** के द्वारा जल संरक्षण तथा आमजन तक समान रूप से अभिगम के उद्देश्य से किया जाएगा। चूंकि वर्तमान तक यूडब्लूआरएमआरसी का गठन नहीं हो पाया है। अतः यूडब्लूआरएमआरसी के गठन होने तक उत्तर प्रदेश जलसम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 के अन्तर्गत वर्णित प्रावधानों के अधीन जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था सम्बन्धित सेवाओं के लिये प्रभार लगाने एवं वसूली करने का कार्य उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा किया जायेगा । कच्चे माल के रूप में जल का उपभोग करने वाली औद्योगिक इकाइयों (जैसे कार्बोनेटेड पेय,

खनिज–जल, पेय पदार्थ आदि) के लिये पृथक तर्क संगत जल का मूल्य निर्धारित किया जाएगा।

16.2 समानता, दक्षता तथा आर्थिक गतिविधियों की पूर्ति हेतु प्रत्येक जल संसाधन परियोजनाओं की जल का लेखा–परीक्षण एवं लेखांकन किया जाएगा तथा इसके अतिरिक्त जल प्रभार प्राथमिकता के साथ नियमानुसार आयतन के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। ऐसे परिवर्तनों की समय–समय पर समीक्षा भी की जाएगी।

16.3 मलजल उपचार संयंत्र (एस.टी.पी.) से विनिर्दिष्ट मानको के अनुरूप शोधन के पश्चात् अपशिष्ट जल का पुर्नचक्रण एवं पुनः उपयोग को विशेष रूप से सिंचाई प्रयोजनों हेतु एक तर्कसंगत योजनाबद्ध प्रशुल्क व्यवस्था के माध्यम से प्रोत्साहित भी करना होगा।

16.4 इस तथ्य को समझते हुए कि थोक भंडारण, वितरण एवं उपयोग बिन्दुओं के मध्य अपरिष्कृत एवं शोधित जल की मात्रा में गणनीय हानि होती है जिससे अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिये जल की उपलब्धता में कमी होती है तथा आपूर्ति संस्थाओं को वित्तीय हानि के साथ ही सेवा में कमी एवं सार्वजनिक सेवाओं के प्रति अंसतोष उत्पन्न होता है, अतः जलापूर्ति–तंत्रों के कार्य प्रणाली का लेखा–परीक्षण समय–समय पर जल लेखा परीक्षा तथा जल–संरक्षण हेतु निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा तथा प्रचलित नियमों के अनुसार सुधारात्मक कार्यवाही आरम्भ की जाएगी।

16.5 उपभोक्तओं की सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए जलमूल्य निर्धारण तथा उप–नियमो के कार्यान्वयन को पारदर्शी तरीके से लागू करने के लिये राज्य, जिला तथा ग्राम–पंचायत स्तरों पर सामाजिक लेखा–परीक्षा समितियों का गठन पारस्परिक एवं सामाजिक रूप से स्वीकार्य तरीके से उपभोक्ताओं एवं सेवा–प्रदाताओं के बीच समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से किया जायेगा।

17. <u>विवाद समाधान</u>

विभिन्न हितधारकों द्वारा विविध प्रयोजनों हेतु जल की मांग के साथ ही इसे अति महत्वपूर्ण एवं अपर्याप्त संसाधन के रूप में जाना जाने लगा है, फलतः जल संसाधन के उपयोग को लेकर उनमें विवाद उत्पन्न होना स्वाभाविक है। जिला एवं राज्य स्तर पर एक विवाद समाधन तंत्र बनाया जाएगा। इसके लिये जिला एवं राज्य स्तर पर एक **"विवाद समाधान समिति"** गठित की जाएगी तथा जल से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े राज्य सरकार के विभाग इस समिति के अंग होगें। जिला एवं राज्य स्तरीय समिति की संरचना को शासन स्तर से अंतिम रूप दिया जाएगा जिसमें सम्बन्धित जल संसाधन विभागों के सदस्यों एवं पंचायती राज संस्थाओं/स्थानीय शहरी निकायों के नामित सदस्यों, परिस्थिति अनुसार, को सम्मिलित किया जाएगा। सम्बन्धित विभाग

विवाद से सम्बन्धित सभी प्रासंगिक सूचनायें उपलब्ध कराने हेतु जिम्मेदार होगें।

18. <u>संस्थागत तंत्र</u>

18.1 स्थानीय जल स्थिति/समस्याओं के निराकरण हेतु सरकार के निचले स्तरों पर आवश्यक प्राधिकार हस्तांतरित करने हेतु जल के उपयोग को नियंत्रित करने वाले सभी वर्तमान विधायों की समीक्षा की जाएगी तथा उनको आवश्यकतानुसार संशोधित किये जाएगें।

18.2 इस विधान में जल को मात्र एक अपर्याप्त संसाधन के रूप में ही नही अपितु जीवन एवं पारिस्थितिकी निर्वाहक के रूप में भी पहचाना जाएगा।

18.3 जल के उपयोग से सम्बन्धित पुराने नियमों/विनियमों को जल उपयोग दक्षता, संरक्षण, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, पुनर्चक्रण एवं पुनरूपयोग आदि के आधुनिक सिद्धांतो से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

18.4 जल से सम्बन्धित मुद्दों पर विचार–विमर्श करके हितधारकों के बीच आम सहमति, सहयोग एवं सुलह स्थापित करने के उद्देश्य से **"उत्तराखण्ड जल संसाधन प्रबंधन और नियामक आयोग" (यूडब्लूआरएमआरसी)** को राज्य स्तर पर एक मंच के रूप में गठित किया गया है।

18.5 <u>अंतर्राज्यीय जल सहभाजन</u>–विभिन्न बेसिन राज्यों के मध्य जल का बंटवारा राष्ट्रीय अधिनियमों एवं नियमों के अंतर्गत बेसिन राज्य में जल संसाधन की उपलब्धता एवं इसकी सतत् आवश्यकता के दृष्टिगत किया जाएगा। विभिन्न बेसिन राज्यों के मध्य जल के बंटवारे के मुद्दो को प्रासंगिक राष्ट्रीय अधिनियमों के प्रावधानों एवं प्रचलित प्रचलनों के अनुसार भारत सरकार के प्रतिनिधि की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय जलबोर्ड/परिषद के समक्ष चर्चा व सुलझाया जाएगा।

19. <u>सार्वजनिक–निजी सहभागिता (पीपीपी)</u>

19.1 टिकाऊ व्यवस्था के तहत किफायती व उन्नत आपूर्ति सेवा उपलब्ध कराने तथा जलपूर्ति क्षमता के जरूरी उपयोग हेतु राज्य सरकार/स्थानीय शहरी निकाय द्वारा निजी क्षेत्र को गैर–घरेलू सेवाओं में **सार्वजनिक–निजी सहभागिता (PPP)** के आधार पर सम्बद्ध कर सकते हैं, जहॉ प्राकृतिक एकाधिकार वांछित नही है और सफलता हेतु निष्पादन आधारित प्रबंधन अनुबंध पर लोकतांत्रिक ढंग से चुने गये स्थानीय निकाय की पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ दण्ड का प्राविधान प्रशुल्क एवं सेवा मानकों पर विनयामक नियंत्रण के तहत सुनिश्चित हो।

19.2 एक बार राज्य में जल–क्षेत्र में आपूर्ति सेवाओं में निजी–क्षेत्र की सहभागिता सुनिश्चित हो जाए, इसके उपयोग तथा सेवाओं के लिये तर्कसंगत प्रशुल्क

"उत्तराखण्ड जल संसाधन प्रबंधन और नियामक आयोग" (यूडब्लूआरएम आरसी) के माध्यम से विनियमित किया जाएगा।

20. आंकड़ा–आधार एवं सूचना–तन्त्र

20.1 नीति क्रियान्वयन की प्रभावी समीक्षा हेतु पूर्ण सुसज्जित एवं व्यापक **"प्रबन्धन सूचना तन्त्र"** विकसित की जाएगी। हिम तथा हिमनद, वाष्पीकरण, क्षरण, अवसादन, नदी–आकृति परिवर्तन आदि से सम्बन्धित आंकड़ों के साथ–साथ सतही एवं भू–गर्भीय जल संबंधी आंकड़े राज्य स्तर पर एक सुसज्जित व्यापक सूचना–तन्त्र संसाधन के नियोजन हेतु परम आवश्यक सामग्री है। इन आंकड़ों के सग्रंहण हेतु एक योजना को विकसित एवं कार्यान्वित की जाएगी। इसके लिये दूर–संवेदन तकनीकों के साथ–साथ आधुनिक तकनीकों को उपयोग कर जल–विज्ञान संबंधी आंकड़े संग्रहण व विश्लेषण की गुणवत्ता में उत्तरोत्तर सुधार सहित राज्य एवं केन्द्रीय स्तर की संस्थाओं को एकीकृत कर सूचना के निःशुल्क आदान–प्रदान हेतु आंकड़ा–कोष तथा आंकड़ा–आधार युक्त **"मानकीकृत राज्य सूचना तन्त्र"** स्थापित की जाएगी। आंकड़ा–आधार तथा सूचना–तन्त्र में सभी अभिज्ञात जल संसाधनों एवं इसकी सूक्ष्म स्तर की जानकारियों से सम्बन्धित निर्देशिका तैयार की जाएगी तथा नियमित रूप से नवीनीकरण किया जाएगा।

20.2 सूचना–तन्त्र जल की उपलब्धता एवं वास्तविक उपयोग से सम्बन्धित आंकड़ों के अलावा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जल उपलब्धता के साथ–साथ विभिन्न उद्देश्यों हेतु जल की मांग के विश्वसनीय अनुमान उपलब्ध कराने में सक्षम होगा।

20.3 राज्य सिंचाई विभाग को सम्पूर्ण राज्य से नियमित जल–मौसम संबंधी आंकड़ो को एकत्रित, परितुलन एवं प्रक्रमण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जायेगा जो इनका प्रारंभिक प्रसंस्करण संचालित करेगा तथा जी0आई0एस0 (भौगोलिक सूचना तन्त्र) मंच पर विवृत्त तरीके से बरकरार रखेगा।

21. वित्तीय एवं भौतिक सम्पोषणीयता

21.1 प्रशुल्क–संरचना को परिचालन व्यय की पूर्ति हेतु एवं गरीब तथा सीमान्त कृषकों के लिए संकरित–आर्थिक सहायता हेतु कदाचित खास–प्रशुल्क योजना के माध्यम से प्रदान करने के लिए भी पुनर्गठित किया जायेगा।

21.2 सी0एस0एस0 एवं ई0ए0पी0 जैसे बाह्य सहायता प्राप्त कार्यक्रमों सहित सभी सम्बन्धित अंतर–विभागीय वित्तीय संसाधनो को एकजुट किया जा सकेगा तथा नोडल विभाग पूंजी निवेश हेतु कोष बढ़ाने के लिए संसाधनो से अग्रेतर लाभ उठाने के लिए सुविधा मुहैया करायेगा। चिन्हित क्षेत्रों में प्राथमिकता वाली गतिविधियों हेतु चक्रीय वित्त–कोष सृजित किया जा सकेगा।

21.3 जल संसाधनो अवसंरचनाओं के विकास एवं विस्तार को प्रमुखता देने के बजाय विद्यमान जल संसाधन सुविधाओं की कार्यकुशलता में सुधार को प्राथमिकता दिया जायेगा जो जल संसाधन सुविधाओं के विकास के साथ–साथ निष्पक्ष व चिरस्थायी तरीके से संचालन एवं अनुरक्षण की आवश्यकताओं को सुनिश्चित करेगा।

22. अनुरक्षण एवं आधुनिकीकरण

22.1 जल संसाधन प्रबंधन हेतु सृजित संरचनाओं एवं व्यवस्थाओं का अनुरक्षण अच्छी स्थिति में भली–भांति किया जायेगा। इस प्रयोजन हेतु पर्याप्त वार्षिक बजट का प्रयास किया जायेगा। समस्त अनुरक्षण कार्यों की लागत को कम करने, जल का इष्टतम उपयोग तथा परियोजनाओं को चिरस्थायी बनाने के लिए निवारक–अनुरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। संरचनाओं तथा तंत्रो का नियमित अनुश्रवण तथा उनका आवश्यक पुनरूद्धार व आधुनिकीकरण कार्यक्रमों को मूर्तरूप दिया जायेगा।

22.2 जलापूर्ति एवं सिंचाई योजनाओं के अनुरक्षण, विशेषतः पाईप लाइन एवं यंत्रावली बदलाव आदि हेतु मानक तैयार किये जायेगें। लिफ्ट योजनाओं के अनुरक्षण व्यय को कम करने के लिए स्वचलीकरण एवं सौर–ऊर्जा चालित उदंच के उपयोग को भी बढ़ावा दिया जायेगा।

23. विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी

23.1 जल संसाधनों के प्रभावी एवं किफायती प्रबंधन हेतु जल विज्ञान, जल संवर्धन/पुनर्चक्रण तथा इसका संरक्षण, जल की गुणवत्ता, संरचनाओं का परिकल्पन, जलापूर्ति एवं सिंचाई के लिए जल का मितव्ययी/कुशल प्रबधंन, नये पर्यावरण–अनुकूल निर्माण सामग्री/विधियों तथा सूचना–प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी तंत्र आदि विभिन्न क्षेत्रो में शोध प्रयासों को गति प्रदान कर ज्ञान के दायरे को विभिन्न दिशाओं में आगे बढ़ाना होगा।

23.2 स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप अनुकूलन–प्रबन्धकों के तथ्यात्मक जानकारी/आंकड़ा–प्रयोजनीय वस्तु की पूर्ति हेतु स्वच्छ जल संसाधनो एवं उनके प्रबंधन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की मात्रात्मक तालमेल एवं आंकलन में सुधार लाने के लिए जल–आबोहवा अंतरापृष्ट में नवीन प्रौद्योगिकी के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु गतिशील अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकी–तरक्की को राज्य द्वारा प्रोत्साहित किया जायेगा।

23.3 राज्य सरकार द्वारा सरकारी संस्थानों यथा डी0एम0एम0सी0, देहरादून एवं आई0आर0आई0/आई0डी0ओ0, रूड़की को प्रौद्योगिकी, परिकल्पन, नियोजन एवं प्रबंधन विधियों को आधुनिकीकृत करने, वार्षिक जलावशेष व कार्यस्थल तथा नदी–घाटियों के जल–लेखा तैयार करने, जल प्रणालियों हेतु जल विज्ञानी–संतुलन तैयार करने, तल–मानकीकरण तथा निष्पादन मूल्यांकन करने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान किया जायेगा।

24. अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ

पड़ोसी देशों/राज्यों के साथ जल–मौसम सम्बन्धी आंकड़ों का आदान–प्रदान, जल सहभाजन व प्रबंधन तथा अन्य विकास योजनाओं से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय/द्विपक्षीय समझौतों में भारत सरकार के समक्ष राज्य का हित प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जायेगा।

25. मानव संसाधन विकास (प्रशिक्षण)

25.1 मानव संसाधन के उन्नयन हेतु तैयार संदर्श योजना जल संसाधन विकास का एक अभिन्न अंग होगा। यह सूचना प्रणाली में आवधिक प्रशिक्षण, क्षेत्रीय नियोजन, परियोजनाएँ व उनके भौतिक संरचनाओं का संरूपण, प्रबंधन एवं प्रचालन तथा जल वितरण प्रणाली गतिविधियों से जुड़े तमाम कार्मिकों एवं वर्गों यथा किसान, अन्य उपभोक्ता समूह आदि के विकास को शामिल करते हुए सभी तंत्रों का समावेश करेगा।

25.2 जल संसाधनों के बदलते परिदृश्य में नीति पर आधारित निर्णयों के प्रभावों का मूल्यांकन तथा नीति–निर्देश विकसित करने के लिए राज्य के तकनीकी शैक्षिक संस्थानों के माध्यम से जल नीति में शोध को प्रोत्साहित किया जायेगा।

25.3 जल संसाधन क्षेत्र में कुशल जनबल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु जल–प्रबन्धन में नियमित प्रशिक्षण एवं शैक्षणिक पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा। इन प्रशिक्षण एवं शैक्षिक संस्थानों को अवसंरचनाओं के विकास तथा अनुप्रायोगिक शोधों को बढ़ावा देकर नियमित रूप से नवीनतम बनाया जायेगा, जो सम्बन्धित रेखीय विभागों में विश्लेषण एवं निर्णय लेने की वर्तमान प्रक्रियाओं में सुधार लाने में मददगार साबित होगा।

25.4 जल को एक अपर्याप्त संसाधन के रूप में मानने के लिए विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा अन्य संस्थानिक पाठ्यक्रम में जल के संरक्षण, संवर्धन एवं परिरक्षण को सम्मिलित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, विद्यालयी छात्रों में जागरूकता पैदा करने के लिए जल के संरक्षण, संवर्धन एवं परिरक्षण संबंधी प्रकल्प निर्दिष्ट किए जायेंगे।

आज्ञा से,

डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव।

THE UTTARAKHAND STATE WATER POLICY, 2019

PREAMBLE

Water is one of the most crucial and scarce natural resource which is of utmost necessity to life, livelihood, agriculture, sustainable development of society as well as essential to maintain ecological and environmental balance whose renewable availability is finite and vulnerable to impaisment depletion and degradation. The State is endowed with bountiful water resources which are available in abundance but on the other hand demand for various purposes of water such as uneven distribution drinking and domestic use, irrigation, power (hydropower), industrial etc. its scarcity is becoming apparent which shall get more pronounced with increasing population. In addition, there are challenges of frequent floods, landslides, soil erosion, cloud bursts and droughts in one or other part of the State. Due to impact of climate change, improper distribution, water conflicts among the different user groups, lack of unified perspective in planning, management and use of water resources, availability of utilizable water will be under further strain.

The objective of the State Water Policy is to take cognizance of the existing situation and to propose a framework for planning, development and management of water resources of State based on consumptive, ecological and development perceptions of the State.

1. WATER AVAILABILITY and PRESENT SCENARIO

1.1 State of Uttarakhand having 53,483 sq.km geographical area and about 24,295 sq.km. (45.43%) forest cover is home to approx. 917 glaciers spread over 3,550 sq. km. from where major perennial rivers of Northern India emanates. The State receives an average annual precipitation of 1,495 mm in the form of rain and it is spread over an area of 53,483 sq.km. which is estimated as 79,957 Million Cubic Meter(MCM). The total water requirement for human and animal population, agriculture and industry of the State is estimated as only 3% of the annual precipitation. However, annual precipitation is highly uneven in both space and time and largely confined to only about 100 days in a year which flows out swiftly from the steep slopes constituting it's major part.

1.2 State has a total of about 1.55 Million hectare meter (Mha). of culturable land out of which total cropped area is about 1.13 Mha. and about 0.56 Mha. is presently under irrigation and balance 0.57 Million hectare meter (Mha). (About 12% in the plains and 88% in the hill area unirrigated land) still remains unirrigated. Production of food grains which is 1.82 million tons in the year 2016-2017 will have to be raised to around 2.5 million tones by the year 2025 AD.

1.3 State has a total of about 2.27 Billion Cubic Meter (BCM) annual replenishable ground water resources, out of which the net annual ground water availability is only 2.10 BCM. The annual ground water draft for irrigation and domestic and industrial purposes has been estimated as 1.34 BCM and 0.05 BCM respectively with an overall development of ground water as 66%.

1.4 Water for drinking and domestic use has the highest priority while allocating the water resources of the State. The State has to provide adequate pure drinking water and sewage cleaning

sanitation facilities (both for people and livestock) to the entire population in both urban and rural areas.

HYDRO POWER

1.5 The State hydro potential has been assessed as 27039 Mega Watt (MW) against which about 3972 MW has been harnessed so far. Hence, it is the need of hour to have a hydro-power policy which should address the development of hydro power along with environmental concerns because hydro power developments and subsequent transmission of energy have relationships with upstream, downstream, en-route water and land uses.

INDUSTRY

1.6 The industrial development policy of the State envisages high growth of eco-friendly industries in the State. The present industrial status of the State calls for a quantum jump in it's high development rate which shall have substantial requirement of water to be used consumptively.

ECOLOGY and HEALTH

1.7 Adequate provisions for ecological, recreational and other purposes need to be made. The quantity of water, its protection against pollution and safe guards against water related health hazards also need to be addressed.

1.8 With the view of water resource (Surface and Underground) availability of the State and status of present use and to cater for future needs upto 2040, judicious and optimal exploitation, utilization, conservation and management of this limited resource is imperative.

1.9 Adequate measures shall be taken to safeguard the aquatic biodiversity found in the water bodies of the State. Lakes and certain stretches of rivers need to be protected from any kind of exploitation through proper legal framework and bylaws. State Wetlands Authority shall be designated as the nodal agency to ensure this.

2. THE VISION OF WATER POLICY

2.1 **Right to Water :** Principle of equity and social justice must inform use and allocation of water. All individuals have right to access to safe drinking water and sanitation for attaining sustainable health and hygiene with ever improving quality of life.

2.2 **The economic, environmental and social well being of all :** The natural water resources of the State shall be conserved and managed in such a way so that water is available in required quantity and quality for achieving important developmental goals of sustainable agriculture growth, harnessing optimum potential of hydropower and industrial development etc.

2.3 **Participation of all tiers of Government in management and use of water resource :** There shall be active participation and role of Panchayat Raj Institutions in conservation, development and management of water resources. The sesional and institutions of State Government shall

also facilitate the Panchayati Raj Institutions (PRIs) in planning, design, construction, operation and maintenance for safe drinking water supply systems supported by water conservation and recharge measures, human waste encompassing ever changing demands of household, commercial and industrial.

2.4 **Water allocation priorities :** In the planning and operation of systems, the State water allocation priorities shall have to be specified regarding drinking water, sanitation/sewage cleaning and livestock requirements, irrigation, ecology, afforestation, biodiversity, eco-tourism, hydro power, agro-industries, non-agro based industries, navigation and other uses.

2.5 **Water** is essential for sustenance of eco-system. Therefore optimum ecological needs for aquatic life such as flora and fauna shall be given due consideration while planning development and maintenance of water resources. A minimum flow of river shall be left unexploited to meet ecological needs ensuring that the low and high flow releases are proportional to the natural flow regime, including base flow contribution in the low flow season through a regulated system. The impact of climate change on water resource availability shall be factored into water management related decisions. Water using activities shall be regulated keeping in mind the local geo-climatic and hydrological situations.

2.6 **It shall be constant prerogative of the government.** to increase water storage capacity which inter-alia shall include revival of traditional water harvesting structures and water bodies such as ponds/lakes and further by adoption of compatible agricultural strategies and cropping patterns with improved water application methods (such as sprinkler and drip irrigation) and land leveling etc. Stakeholders participation in land-soil-water management with scientific inputs for evolving agricultural strategies, reducing soil erosion and improving the soil fertility shall be promoted.

2.7 **All civilizations** in the past and even the thickly populated townships at present are situated along the river. The stakeholders/community participation in planning development and maintenance of water resources for various diverse uses shall help the State in better management and utilization of water and also check migration of population especially from hilly areas.

THE POLICY

1. All water resources shall be treated as a Common Pool Community resource by the State under public trust doctrine with State as it's principal trustee.

2. Planning, development and management of water resources shall be governed by common integrated perspective considering local, regional, State and national context, having an environmentally sound basis, keeping in view the human, social, economic and ecological needs.

3. Entire water resources of the State shall be mapped, enlisted in the water resource directory of the government as revenue record and brought within the category of utilizable resources to the maximum possible extent. The State shall be divided into various water zones to ensure proper planning and development of water resources through inventorization of springs and streams, periodic monitoring of their flow and quality for the purpose of hydrological quantification, status

of these resources, their seasonal behavior/ scarcity and potability/suitability for different uses and long term trends etc.

4. Safe water for drinking and sanitation/sewage cleaning shall be considered as pre-emptive needs, followed by high priority allocation for other basic domestic needs (including animals) for achieving food security, supporting sustenance agriculture and minimum environmental and eco-system. A minimum flow of river shall be left unexploited to meet the ecological needs through a scientifically regulated system.

5. Harnessing of water resources for hydro-power, commercial and industrial usage shall be made in a sustainable manner with due regard to development and improvement of ground water and prevention of its over exploitation.

6. Water resources development and management shall be planned for a hydrological unit such as drainage basin as a whole or for a sub-basin or springshed, multi-sectorally taking into account both surface and ground water as common resource incorporating quantity and quality aspects as well as environmental and sustainability considerations.

7. **WATER ALLOCATION PRIORITIES**

In the planning and operation of systems, water allocation priorities shall be broadly as below-

- Safe/Clean drinking water, sanitation/sewage cleaning and livestock requirements
- Irrigation
- Hydro power
- Ecology/Afforestation/Biodiversity/Eco-tourism
- Agro based industries
- Other uses

However, this is subject to modification if warranted by special considerations in any area/region of the State.

8. **PROJECT PLANNING AND MANAGEMENT :**

8.1 **Basin Planning:-** A river basin or a sub basin or springshed shall be considered as a unit of planning and development of water resources of the State. Aim is to to reduce surface run off and use it for recharge of ground water. Drainage shall be considered as integral part of planning.

8.2 The major projects, wherever possible, shall be conceptualized as multipurpose projects to cater for diverse uses. Provision of drinking water shall be a primary consideration. There shall be an integrated and multi-disciplinary approach to the planning, formulation, clearance and implementation of projects including catchment area treatment and also from environmental and ecological aspects, the rehabilitation of affected people and command area development.

Following points shall be considered while framing the project:-

(a) Pre and post impact of project on human lives, occupations and environment etc;
(b) Effect on ecological balance and compensatory measures if required;

(c) Environmental impact assessment preferably by an independent agency;
(d) Economic evaluation and socio-economic impact;
(e) Monitoring mechanism;
(f) Analysis of water foot prints/routing;
(g) Rain water harvesting and reuse of waste water;
(h) Viability/sustainability and social acceptability of the conceptualized project;
(i) Involvement and participation of beneficiaries and other stakeholders at the project planning stage.

8.3 The priorities of development shall also be aimed at reducing the existing regional imbalances. In this context, transfer of water from surplus to scarcity areas shall also be considered.

8.4 The occurrence of surface water in the State is unevenly distributed both in time and space and the underground water is also unevenly distributed in space. This aspect shall be duly addressed while formulating the projects.

8.5 Projects involving impounding of water, adequate water shall be released round the year to meet the needs of downstream users. Preservation of the quality of environment and the ecological balance shall be a primary consideration. In projects where water is proposed to be diverted from its original course a minimum flow of water should be left unexploited in stream / river to provide for its original role in local ecology. In forest areas the extraction of water shall be planned keeping in view the needs of flora and fauna of the area.

8.6 The economic evaluation of projects shall also take into consideration factors like steep slopes, rapid run-off, instability of slopes, the incidence of soil erosion and the impact of customary rights and practices of tribal or other disadvantaged sections of society. As far as possible leveling of hill slopes shall be carried out by inward sloping (stepping, landscaping method etc) in order to conserve soil and moisture content.

8.7 Rivers and other water bodies shall be considered for development of eco-tourism as far as possible and all multipurpose projects over water bodies shall keep eco-tourism and other purposes in mind right from the planning stage.

8.8 Special efforts shall be made to investigate and formulate projects either in or for the benefit of backward areas and the areas inhabitated by disadvantaged groups of society such as scheduled caste and scheduled tribes. In other areas also, project planning shall pay special attention to the needs of the weaker sections of society.

8.9 Industries shall be encouraged for recovery of industrial pollutants and their recycling / reuse, which are otherwise capital intensive. Subsidies and/or incentives may be offered for the same.

8.10 All glaciers shall be monitored and maintained free from toxic pollution. Suitable amendments in the laws shall be made to ensure that water sources are not polluted.

8.11 Long term, sound and reliable data base shall be construed as the prime requisite for water resources planning. The existing information and data collection system should be modernized and strengthened by making it more extensive and improving the quality of data and processing capabilities including system for regular updation, measurement and monitoring of all water resources.

8.12 The projects where rehabilitation and resettlement of affected persons is required, it shall as far as possible be taken up along with the project itself.

8.13 Water harvesting shall be given consideration in planning water resources. Viable projects, especially in scarce ground water areas shall be investigated and implemented to increase the surface water availability which shall also help in recharging the ground water.

8.14 Characteristics of catchment area of streams, rivers and recharge zones of aquifers are changing as a consequence of land use and land cover changes which are affecting water resource availability and quality. Hence, geological mapping of watersheds/sub-watersheds for basin/sub-basin/springshed/small hydrological unit levels be carried out to investigate the recharge area especially in water scarcity zones.

8.15 Digital Atlas of springsheds shall be developed for periodical assessment of springs. Recharge zones for aquifers feeding springs shall be delineated and data related to spring discharge and water quality shall be collected. Aquifer shall be recognized as the unit of planning in order to integrate watershed and aquifer for watershed/ springshed approach.

8.16 The Springshed, Watershed/Sub-Watershed Management shall be promoted in order to maximize retention and minimize loss of water through extensive soil conservation, catchment area treatment, preservation of forests and wet lands, increasing forest cover, construction of check dams and other ground water recharge measures. Comprehensive Springshed Management approach shall be used in order to integrate spring water and ground water resources. Convergence of existing labour intensive programmes like MGNREGA and other similar programmes launched in future with the departmental programmes may be used by involving farmers to harvest rain water by using farm ponds, soil and catchment area treatment and various water conservation measures.

8.17 Much of the growth in water demand in the State is the result of rapid economic and industrial development leading to rapid economic changes and accelerated consumerism alongwith their pressing demands on water. Hence, optimization of water allocation shall urgently be needed at sub-watershed scale covering all demand sectors as per water allocation priority mentioned under the policy.

9.0 SAFE/PURE DRINKING WATER AND SEWAGE DRAINAGE

9.1 Principle of equity and social justice must inform use and allocation of water. The State recognizes that every individual has a right to a minimum quantity of potable water for essential health and hygiene within easy reach of household. Needs of human beings and domestic animals/cattle shall have the first charge on any available source of water.

9.2 The ownership of water does not vest in an individual but in the State. The State reserves the right to allocate water to ensure equitable and efficient distribution based on the principle of social justice. The State can redirect its use during periods of droughts, floods and other natural and man-made disasters such as contamination of groundwater aquifers that threaten the public health and ecological integrity with active participation of community/stakeholders.

9.3 The agency duly authorized by the Government for supply of drinking water to the community shall be made accountable to ensure quality in terms of clean, safe and hygienic supply of water

as per World Health Organization (WHO) standards and in case of failure, legal proceedings will be taken under against the service provider as per the existing laws.

9.4 For sustenance of rechargeable shallow groundwater aquifers, the State shall regulate the extraction of water in the identified scarcity zones with public participation.

9.5 Major springs available near towns and villages shall be tapped for water supply by gravity or through small lift schemes.

9.6 Specific drought monitoring and contingency plans shall be prepared for each region experiencing recurrent seasonal shortages of water with due consideration to conjunctive use of rain water, surface water and ground water as alternative ways of satisfying demand.

9.7 The State may empower the local bodies as deem fit, to exercise it's right to allocate water in scarcity zones during periods of severe drought and it shall monitor the water regime and enforcement of the regulations through specifically designed mechanism.

9.8 There shall be endeavour to supply water on 24x7 basis subject to Use and Pay Principle as per rational tariffs fixed by " **The Uttarakhand Water Resources Management and Regulatory Commission" (UWRMRC).** Since, UWRMRC has not yet been constituted, the water supply and sewerage services tariff shall be fixed and charged by Uttarakhand Jal Sansthan as per mandate contained under the U.P. Water Supply and Sewerage Act,1975 till the constitution of UWRMRC. However, Service Level Bench marking shall be established for water supply after attaining optimal infrastructural facilities.

9.9 Heavy Penalty shall be imposed for using unauthorized motor pump directly in consumer supply line.

9.10 Water ATMs at places of mass public congregation like temples, fairs etc. shall be promoted so as to ensure availability of quality water.

9.11 Implementation of a participatory demand driven approach based on metering system shall be ensured so that the public gets the desired level of service and can afford to pay for the same through the mechanism of a rational tariff system.

9.12 Urban water supply and sewage treatment schemes shall be integrated and executed in coordination with each other. Separate water supply and sewerage bills shall be charged as per rational tariff. The fixation and revision of water rates shall be carried out periodically to cover at least the operation and maintenance charges on rational basis linked to the quality of service provided.

9.13 Sewerage drainage plan shall be drawn up for all urban and rural communities. The State aspires to mandatorily connect all households to sewerage drainage networks. Safe disposal of sewage shall be promoted by establishing Sewage Treatment Plants (STPs) in a phased manner and further, their O&M shall be suitably incentivized.

9.14 Special efforts shall be made to investigate and formulate drinking water and sanitation projects for the benefits of areas inhabitated by tribals or other disadvantaged groups such as socially weaker scheduled caste and scheduled tribes.

9.15 The central role of women as managers and users of domestic water shall be recognized in all water resources development programmes. Women shall be involved in planning development and management of water resources programmes.

9.16 Communities shall be the focus for all water supply and sewage drainage system in both urban and rural areas. PRIs at village, Kshetra, Zila, and Town levels through Water and Watershed Management Committee (WWMC) shall have a key role in planning, implementation and maintenance of water supply and sewage drainage projects. The activities of all other stakeholders including public and private sector agencies and Non Governmental Organization (NGOs) shall provide co-ordinated inputs into the development of this sector with PRIs.

9.17 Most of the surface water sources of the State in rural and urban areas are susceptible to natural calamities like flood havoc due to excessive rainfall and sudden occurrence of cloud burst hence, adequate flood protection cushion and mitigation measures in order to manage and modify storm water shall be provided for the safety of the drinking water supply and sewerage darinage system infrastructures.

GROUND WATER

9.18 Integrated and co-ordinated development of spring water, surface water and groundwater resources and their conjunctive use shall be envisaged right from the project planning stage and shall form an integral part of the project implementation. Thus, connection between spring and ground water and further spring and river water need to be recognized.

9.19 A Participatory Groundwater Management (PGWM) shall be evolved to develop, monitor and manage spring water through a comprehensive springshed management approach with the community participation.

9.20 There shall be a periodical reassessment of ground water potential taking into consideration the quality of that available and economic viability of its extractions well. Recharge area of ground water shall be mapped and its protection shall be ensured.

9.21 Exploitation of ground water resources shall be so regulated as not to exceed the recharging possibilities as well as to ensure social equity. Further, ground water exploitation projects may also include the annual operation and maintenance charges in the project cost. Recharging of ground water shall be made mandatory in ground water exploitation projects being implemented in grey areas.

9.22 Ground water recharge projects shall be developed and implemented for providing both quality and ensuring availability of ground water resources.

9.23 The hand pumps programme of the State shall be progressively re-oriented towards off main road sites and to the areas where ground water recharge schemes have been implemented. All existing hand pumps shall be Geographic Information System (GIS) mapped and maintained / operated through the local PRIs.

9.24 The existing ground water resource shall be categorized as critical, semi critical, over exploited and safe zones and further exploitation of ground water in different zones shall be regulated accordingly by paying special attention on over exploited and critical zones.

9.25 Extraction/tapping of underground water by public and private agencies like Private Apartments/Households, Hotels, Dhabas, Malls, Industries etc. for commercial use shall be restricted through regulatory bye-laws and fixing a certain draft limit for water table depending upon the location and making the rain water harvesting / recharge mandatory to maintain the water table.

10. IRRIGATION

10.1 Irrigation continues to be major consumptive use of water in the State. About 38% of the culturable land has been provided with irrigation facility during successive five year plans. A two dimensional strategy in respect of (i) exploitation of unutilized resources and (ii) qualitative improvement in the management of already harnessed resources, is called for

i) Exploitation of Un-utilized Resources - In this regard the following actions shall be taken.

- Perspective plan upto 2040, both in respect of surface and underground water shall be prepared. The implementation schedule shall ensure continuing the process so that funds, expertise, equipment and trained manpower is evenly developed yielding optimal results.
- The water resource projects specially multipurpose projects which are necessary to be taken up in the larger interest of State and having long term investment, the decisions in accordance with the perspective plan shall be taken so that the projects are completed as per schedule.
- The projects shall be self sustaining. Since Irrigation is an essential input for agriculture, the pricing of water has wider economic ramifications, it has been proposed to constitute **"The Uttarakhand Water Resources Management and Regulatory Commission" (UWRMRC)** under **"The Uttarakhand Water Management and Regulatory Act, 2013"** for this purpose.

ii) **Management of Irrigation Water:** In order to realize the anticipated benefits from the investments made in irrigation sector efficient management, scientific and economical use and conservation of harnessed water is imperative. The present status has a substantial scope for qualitative improvement in this field.

➢ Account of overall water and proposed consumption shall be maintained and monitored from time to time. These systems shall be provided with mechanism using appropriate technology to enable quick adjustments of supplies as per requirements dictated by water availability and the priorities at the field. In addition, the following aspects shall be specially considered :-

- Adequate and appropriate Management Information System (M.I.S.) to ensure the running of the system for optimal use as per availability and priorities of requirement.
- Reduction of losses shall be ensured by inter-alia adopting the following measures.

(i) Appropriate use of lining/transfer of canals;
(ii) checking unauthorized use by cutting of canals and other means.

➢ Modernization and updation of old channels shall be taken up to cater for future requirements.

10.2 "Field Management" shall be tackled on high priority to achieve most efficient use of water at the field level wherein equity in its dispensation and proper recovery of dues is ensured.

- A thrust shall be given to improvement and development of command areas (such as leveling of fields, improvements and maintenance of water courses etc.)
- Adoption of improved micro irrigation practices such as sprinkler and drip irrigation and further improved agricultures practices using appropriate technology to ensure optimal use of water for agriculture production.
- Adoption of appropriate low water intensity cropping pattern suitable for the area in question.

10.3 Formulation of proposals for irrigation schemes shall be preceded by extensive engagement with the user community(s) to arrive at a common understanding about the operation and maintenance of the scheme(s). The obligations of all stakeholders including apportionment of operational expenses, formation of Krishak Vikas Sanghs (KVS) and the inputs to be provided by other line departments such as agriculture, horticulture, fisheries and animal husbandry shall be an essential component of the scheme's DPR.

10.4 All irrigation schemes shall be automated and powered by renewable sources of energy (e.g. solar energy) to the extent possible. Operation of these schemes shall be progressively outscored through the Krishak Vikas Sanghs (KVS) with the latter being allowed to retain a portion of the user charges for operating and maintaining the scheme(s)

10.5 Water allocation in an irrigation system shall be done with due regard to equity and social justice. Disparities in the availability of water between head-reach and tail end farmers and further between large and small farms shall be obviated by adoption of a rotational water distribution system and supply of water on a volumetric basis subject to certain ceilings and rational pricing. Appropriate dispute resolving mechanisms shall be established to ensure equitable access to water within irrigation systems.

10.6 A watershed command area development approach shall be adopted in all irrigation projects to ensure optimal utilization of irrigation potential and subsequently the gap between potential created and potential utilized is minimized.

FLOOD CONTROL AND MANAGEMENT

10.7 Flood control and its management has been the endeavor of the State right from the beginning of the planned development in the post independence period. The problem of flood has been recognized as a basin problem not confined to a State/area.

10.8 A master plan for flood control and disaster management for each flood prone basin shall be prepared. Afforestation shall be promoted along river basins to act as barrier and water absorbers.

10.9 Adequate flood cushion shall be provided in water storage projects, wherever possible, to facilitate better flood management. In highly flood prone areas, flood control may be given overriding consideration in reservoir regulation policy even at the cost of sacrificing some irrigation and power benefits.

10.10 While physical flood protection works like channelization of rivers/gadheras are being done in the State. The construction of embankments, spurs and dykes shall continue to be necessary and for mitigation of losses, the provisions of The Uttarakhand Flood Plain Zoning Act, 2012 shall be strictly adhered to. Natural waterway of rivers shall be restored by dredging/malba disposal in vulnerable stretches of river in a scientific manner be incorporated in Flood Control and Management Programme.

10.11 The flood forecasting activities shall be modernized using real time data acquisition system and linked to forecasting models. Further, these activities shall be value added and extended to uncovered areas. Inflow forecasting to reservoirs shall be instituted for their effective regulation.

10.12 While deciding the location of new structures or relocation of old structures, morphological study of the rivers shall be carried out and it shall be ensured that these are preferably located beyond the Highest Flood Land (HFL)/Flood zone. However, in case it is not possible to do so, adequate flood protection measures shall be provided for the safety of these structures.

10.13 **LAND EROSION BY RIVERS AND TRIBUTARIES**

The erosion of land by rivers shall be mitigated by the suitable cost effective measures by construction of revetments/dam, spurs, embankments etc. and also construction of rain water harvesting structures shall be encouraged to check soil erosion and flash floods. The State shall take steps to ensure that indiscriminate occupation and exploitation of land near the river banks is discouraged. Economic activity on river banks and beds shall be properly regulated. Afforestation shall be promoted along river basin to act as barrier and water absorbers.

DROUGHT PRONE AREA DEVELOPMENT

10.14 Drought prone areas shall be made less vulnerable to drought associated problems through soil moisture conservation measures, water harvesting practices, minimization of evaporation losses, development of ground water potential including recharging and the transfer of surface water from surplus areas where feasible and appropriate. Pastures, forestry or other modes of development with relatively less water demanding should be encouraged.

10.15 Relief works undertaken for providing employment to drought stricken population shall preferably be for drought proofing. In planning water resource development projects, the needs of drought prone areas should be given priority.

ADOPTION TO CLIMATE CHANGE

10.16 Climate change is likely to increase the variability of water resources, therefore, the State shall endeavor to enhance the capability of community to adopt climate resilient technological aspects.

10.17 Various agriculture strategies, cropping patterns and improved water application methods such as sprinkler and drip irrigation with all irrigation schemes shall be made to enhance the water

use efficiency, as also, the capability for dealing with variability because of climate change. Similarly, industrial processes shall be made more water efficient.

10.18 Stakeholders participation in land-soil-water management for evolving different agricultural strategies, reducing soil erosion and improving soil fertility shall be promoted. As far as possible organic farming shall be encouraged by developing infrastructure and organic marketing agency inside and outside the State.

10.19 Planning and management of water resources structures, such as, dams, flood embankments etc shall incorporate coping strategies for possible climate changes. The water storage capacity of existing small and large reservoirs, ponds shall be increased, which inter-alia shall include revival of traditional water harvesting structures and water bodies such as Lakes/Ponds/Dhara/Naula /Khal/Chal etc.

11. PARTICIPATORY APPROACH

11.1 Water is treated as common pool resource, managed, protected and preserved by the State with the participation of community based institutions. Water resources projects shall be managed in a manner that promotes a participatory approach and involves local communities and stakeholders, specially women, in an effective and decisive manner in various aspects of planning, design, development and management of the water related schemes including recovery of water user charges.

11.2 Necessary rules and institutional changes shall be made at various levels duly ensuring more meaningful decision making roles for women. Water Users' Associations and the local bodies such as municipalities and gram panchayats shall particularly be involved in the operation, maintenance and management of water related infrastructures/facilities at appropriate levels, progressively, with a view to eventually transfer the management of such facilities to the consumer groups/local bodies.

12.0 HYDRO POWER DEVELOPMENT

12.1 **Small Hydro Power Project:** - Small hydro power generation have a lot of scope in the State and shall be promoted wherever feasible. Generation of power through micro-hydel systems need to be decentralized. Such hydropower development and subsequent transmission of energy have relationships with upstream, downstream, en-route water and land uses which calls for co-ordination and co-operation in negotiation of trade-offs that can be agreed through consultations involving all concerned stakeholders in the overall interests of local communities.

12.2 **Water Mills** - A State wide inventory of the condition and potential of water mills shall be conducted, on the basis of which a policy for water mills shall be prepared. The traditional rural technology of water mills shall be revived and modernized for multiple uses. The gram panchayat shall be legally empowered to regulate the operation of water mills within its territory through issuance of licenses and collection of rent. The Gram Panchayat may seek financial and technical support from private parties, Non Government Organization (NGOs) and government agencies, banks for up gradation and modernization of water mills.

12.3 **Medium and Large Hydro Power/Multipurpose Projects** - Large dams or major multipurpose hydro electric projects have various reasonable issues like design and safety of structure,

earthquake due to tectonic movements, hill slope instability, rehabilitation, resettlement, environmental etc. yet in the national or larger interest of people taking up the construction of these projects can't be ruled out. Therefore, these projects shall be taken up as per requirement and all the said issues shall be addressed and resolved before its commencement. Private sector participation shall be encouraged in planning and development of water resources projects particularly hydro-power projects, which may be helpful in generating financial resources as well as improving efficiency.

13. **WATER QUALITY**

13.1 Water quality parameters for different uses such as drinking, other domestic uses, livestock, irrigation and industries etc. shall be specified/notified by the competent authority and shall continuously be reviewed with a view to effective improvement in water quality. The quality of both surface and ground water shall be regularly monitored.

13.2 In order to prevent any pollution/contamination of ground water, the industrial units producing affluent/waste water shall necessarily have their own treatment plant and the waste water shall be treated upto the specified standard before discharging into the municipal sewer and/or disposed of on land which shall suitably be incentivized. Recycle and Reuse of treated water shall be promoted for Irrigation, Horticulture and other purposes.

13.3 Pollution and encroachment of any water body spring/river/stream/gadheras and bore wells by an individual/colonizer in identified urban areas having very low water table shall be treated as cognizable offence.

14. **CONSERVATION, AUGMENTATION AND PRESERVATION OF WATER**

14.1 Water resources shall be conserved and its availability augmented by maximizing retention in the catchment area, minimizing pollution and avoiding wastage by adopting measures like construction of chal-khal, judicious lining of the conveyance system, modernization and updation of existing water distribution system, roof top rain water harvesting, recycling and reuse of treated affluent water and improved water application techniques (drip and sprinkler irrigation) wherever feasible.

14.2 The various non-conventional measures such as artificial recharge of ground water and traditional water conservation practices like rain water harvesting including roof top rain water harvesting, recharging bore well, natural graded soak-pit shall be promoted and incentivized.

14.3 Over exploitation of surface and ground water by the industries and others commercial projects (such as Mall, Housing etc.) shall be strictly regulated by enacting suitable legislation with stringent punitive action.

14.4 Awareness of water as a scarce resource shall be fostered and further efficient and optimal utilization in all the diverse uses of water shall be ensured through regulation andincentive.

14.5 Plantation of deciduous forest such as Oak and Burans tree shall be promoted gradually in place of Pine tree particularly in hilly region of the State which help in conservation of water. Further, elimination of Pine tree shall be carried out in a phased manner.

14.6 Reforms and progressive measures for innovations, efficient utilization of water resources and traditional water bodies such as lakes/ponds, their conservation and rejuvenation shall be

proactively encouraged and appropriately incentivized in line with order dated 14.07.2016 issued by department of Drinking Water and Sanitation, Government of Uttarakhand.

15. CONSERVATION OF RIVER CORRIDORS, WATERBODIES AND INFRASTRUCTURE

15.1 The storage capacities of water bodies, rivers and water courses/corridors and/or associated wetlands, the flood plains, ecological buffer and areas required for specific aesthetic recreational and/or social needs shall be managed to the extent possible in scientific and integrated manner to balance the flooding, environment and social issues as per prevalent laws through planned development of urban areas, in particular.

15.2 Encroachments and diversion of water bodies (like springs, rivers, lakes, tanks, ponds, etc) and drainage channels (irrigated area as well as urban area drainage) shall not be allowed and wherever it has taken place, it shall be restored to the extent feasible and maintained properly.

15.3 Washing of clothes on the streams, canals and other water bodies shall be discouraged to prevent water pollution.

15.4 Urban settlements, encroachments and any developmental activities in the protected upstream areas of reservoirs/water bodies, key aquifer recharge areas that pose a potential threat of contamination, pollution, reduced recharge and those endanger wild and human life shall be strictly regulated.

15.5 Environmental needs of Himalayan regions, aquatic eco-system, wet lands and embanked flood plains shall be recognized and taken into consideration while planning.

15.6 Sources of water and water bodies shall not be allowed to get polluted. System of third party periodic inspection shall be evolved and stringent punitive action be taken against the persons responsible for pollution under the **"Uttarakhand Water Management and Regulatory Act, 2013".**

15.7 Dredging of River Bed Material (RBM) in a scientific manner in rivers with regard to environmental aspects and maintaining sub-surface flows for bio-diversity shall be guided by the proviso of the **"Uttarakhand Minor Mineral (Sand/Bajri/Boulder/Brick etc.) Policy, 2015".**

15.8 Legally empowered dam safety services shall be ensured in the State. Appropriate safety measures, including downstream flood management, for each dam shall be undertaken on top priority as per GoI guidelines.

15.9 CandD **(Construction and Demolition)** Waste shall not be thrown in any water body/river/stream/hill slopes etc. Each and every Urban Local Body shall ensure CandD waste processing and disposal as per Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016.

16. WATER AUDIT AND ACCOUNTABILITY

16.1 Water usage charges (Tariff) shall ensure its efficient use and reward. Conservation, equitable access to water for all and its fair and rational tariff for drinking and other uses such as sanitation, agricultural and industrial, shall be arrived at through independent agency **"The Uttarakhand Water Resources Management and Regulatory Commission" (UWRMRC)** after wide ranging consultation with all stakeholders. Since, UWRMRC has not yet been

constituted, therefore the water supply and sewerage services tariff shall be fixed and charged by Uttarakhand Jal Sansthan as per mandate contained under the U.P. Water Supply and Sewerage Act,1975 till the constitution of UWRMRC. A differential water usage charges on rational basis shall be evolved for the industrial units (such as Carbonated Drinks, Mineral Water, Beverages etc.) which consume water as raw material.

16.2 The auditing and accounting of water shall be carried out for every water resource projects in order to meet equity, efficiency and economic activity and further, the water charges shall preferably, as a rule be determined on volumetric basis. Such changes shall be reviewed from time to time.

16.3 Recycle and reuse of waste water after treatment from Sewage Treatment Plants (STP's) to specified standards especially for irrigation purposes shall also be incentivized through a rationally planned tariff system.

16.4 Realizing the fact that substantial losses of raw and treated water take place between the bulk storage, distribution and usage points thereby reducing availability to the ultimate users and financial losses to the supplying agencies as well as giving rise to deficiency in service and dissatisfaction with the public services, audit of the working of systems shall be necessarily carried out periodically in accordance with the guidelines for water audit and water conservation and further rectification measures initiated as per prevalent practices.

16.5 Social audit committees at State, District and Gram Panchayat level shall be formed to co-ordinate between the consumers and service providers in a mutually and socially acceptable way by taking into account the affordability of the consumers for fixing the water pricing and transparency in implantation of bye-laws.

17. CONFLICT RESOLUTION

As water has been recognized as crucial and scarce resource with various demands from different stakeholders, it is natural that situation of conflicts will emerge regarding use of water resource. A conflict resolution mechanism shall be created both at District and State level. For this a "Conflict Resolution Committee" shall be formulated both at District as well as State level and State government departments associated directly or indirectly with water shall be part of this committee. The structure of the District and State level committee shall be finalized at government level which shall include members from concerned water resource departments and nominated members from Panchayati Raj Institutions (PRIs)/urban local bodies as the case may be. The concerned departments shall be responsible for providing all relevant data regarding the dispute.

18. INSTITUTIONAL MECHANISM

18.1 All existing legislation governing the use of water shall be reviewed and appropriately modified for devolving necessary authority to the lower tiers of the government to deal with the local water situation.

18.2 Such legislation shall recognize water not only as a scarce resource but also a sustainer of life and ecology.

18.3 Age old regulations pertaining to the use of water shall be replaced by modern principles of water use efficiency, conservation, micro irrigation and recycling and reuse etc.

18.4 The **"Uttarakhand Water Resources Management and Regulatory Commission" (UWRMRC)** has been constituted as a forum at the State level to deliberate upon issues relating to water and evolve consensus, co-operation and reconciliation amongst the stakeholders.

18.5 **Intra State water sharing** - National Acts and Rules shall govern the sharing of water among the various basin States with due regard to water resources availability and sustainable need within the basin State. The issue of water sharing among various basin States shall be discussed and settled/finalized before the Inter State Water Board Council under the chairmanship of representative to Government of India as per proviso of relevant National Acts and Prevalent practices.

19. PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIPS (PPP)

19.1 The State Government/Urban Local Bodies may associate private sectors in non-domestic sectors, where natural monopoly is not desired through Public Private Partnership (PPP) mode for efficient and improved delivery of services on sustainable basis and optimum utilization of water supply capacity. Further, there shall be regulatory control on tariff and service standards with full accountability to democratically elected local bodies through a performance based management contract with penalties for failure.

19.2 Once private sector participation in the delivery of services in the water sector becomes well entrenched in the State, its use and rational tariff for the services shall be regulated through the **"Uttarakhand Water Resources Management and Regulatory Commission" (UWRMRC).**

20. DATABASE AND INFORMATION SYSTEM

20.1 A well-equipped comprehensive Management Information System (MIS) for effective monitoring of policy implementation shall be evolved. Data about snow and glaciers, evaporation, erosion, sedimentation, river geometry changes etc. along with surface and ground water related data at the State level is a prime requisite for resource planning. A programme for such data collection shall be developed and implemented. For this a standardized State information system shall be established with a network of data banks and data bases for free exchange of information, integrating the State and Central level agencies with ever improving quality of hydraulic data collection and analysis using modern technology including remote sensing techniques.A directory of all identified water resources and its micro level information shall also be maintained in Data Base and Information System and updated regularly.

20.2 Apart from the data regarding water availability and actual usage the system shall be equipped to provide reliable projections of demand of water for diverse purposes along with availability in different areas of the State.

20.3 Irrigation Department of State shall be given responsibility for collecting, collating and processing hydro-meteorological data regularly from all over the State, conduct the preliminary processing and maintain in open and transparent manner on a Geographic Information System (GIS) platform.

21. FINANCIAL AND PHYSICAL SUSTAINABILITY

21.1 Tariff structures shall be gradually restructured so as to cover operational expenses and also to provide for cross-subsidisation for poor and marginal farmers probably through a differential tariff scheme.

21.2 All linked inter-departmental financial resources including externally aided programmes like CSS and EAP may be pooled and the nodal department shall facilitate further leveraging of resources for raising funds for capital investment. A revolving fund may be created for funding prioritized activities in select areas.

21.3 Prioritization shall be made towards shift from the emphasis on the development and expansion of water resource infrastructure to the performance improvement of the existing water resource facilities which shall ensure that needs for development as well as operation and maintenance of the facilities are met in an equitable and sustainable manner.

22. MAINTENANCE AND MODERNIZATION

22.1 Structures and systems created for water resource management shall be properly maintained in good condition. There shall be endeavor to provide adequate annual budget allocation for this purpose. Preventive maintenance shall be given due attention for reducing overall maintenance cost, optimizing water use and making projects sustainable. There shall be a regular monitoring of structures and systems and necessary rehabilitation and modernization programmes shall be undertaken.

22.2 Norms for maintenance of water supply and irrigation schemes especially regarding change of pipe lines, change of machinery etc. shall be prepared. In order to minimize the maintenance cost of lift schemes automation and use of solar energy pumps shall also be encouraged.

23. SCIENCE AND TECHNOLOGY

23.1 For effective and economical management of our water resources, the frontiers of knowledge shall have to be pushed forward in several directions by intensifying research efforts in various areas such as hydrology, water harvesting/recycling and its conservation, water quality, design of structures, economical/efficient management of water in both water supply and irrigation, use of new eco friendly construction material/construction practices and Information Technology enabled monitoring systems etc.

23.2 The State shall encourage continuing research and advancement in technology for efficient implementation of innovative technology into water climate interface to improve understanding and estimation quantitatively the climate change impacts on fresh water resources and their management in order to fulfil the pragmatic information/data requisites of the adaptation managers under local conditions.

23.3 The State shall provide adequate financial support to the Government Institutions such as DMMC, Dehradun, IRI/IDO, Roorkee to update technology, design, planning and management practices, preparation of annual water balances and accounts for the site and basin, preparation of hydrologic balances for water systems, benchmarking and performance evaluation.

24. TRANS-BOUNDARY RIVERS

The interest of State shall be put forth strongly in case of entering into international/bilateral agreements with neighbouring countries/States for exchange of hydro-meteorological data, sharing and management of water and other developmental projects at GoI level.

25. **HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT (TRAINING)**

25.1 A perspective plan for upgradation of human resources shall be an integral part of water resources development. This shall include periodical training in information systems, sectoral planning, formulation, management and operation of projects and their physical structures and systems including management of the water distribution systems which extend to all the categories of personnel involved in these activities e.g. farmers, other user groups etc.

25.2 Research in water policy shall also be encouraged by the technical educational institutions of the State to evaluate impacts of policy decisions and to evolve policy directives keeping in view changing scenario of water resources.

25.3 Regular training and academic courses in water management shall be organized to ensure availability of the skilled manpower in the water resource sector. These training and academic institutions shall be regularly updated by developing infrastructure and promoting applied research, which shall help to improve the current procedures of analysis and decision making in the line departments.

25.4 Conservation, Augmentation and Preservation of water shall be included in the school, colleges and other institutional curriculum to recognize the water as a scarce resource. Further, school children shall be assigned projects related to conservation, augmentation and preservation of water to create awareness among them.

By Order,

Dr. BHUPINDER KAUR AULAKH,

Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 01 हिन्दी गजट/09–भाग 1–2020 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या—यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018—2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 04 जनवरी, 2020 ई0 (पौष 14, 1941 शक सम्वत्)

भाग 1—क

नियम, कार्य—विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

अधिसूचना

06 दिसम्बर, 2019 ई0

संख्या 01/प्रशा0/6(4)/उविनिआ/2019—20/1306—विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 87 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, एतद्द्वारा विद्युत सलाहकार समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता हैं:—

	1.	अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग	पदेन अध्यक्ष
	2.	सदस्य (विधि), उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग	पदेन सदस्य
	3.	सदस्य (तकनीकी) उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग	पदेन सदस्य
	4.	प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून	पदेन सदस्य
	5.	प्रमुख सचिव/सचिव, खाद्य एवं रसद, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून	पदेन सदस्य
वाणिज्य एवं उद्योग	6.	अध्यक्ष, इन्डस्ट्रीज एसोसियेशन ऑफ उत्तराखण्ड, देहरादून	सदस्य
	7.	अध्यक्ष, सी0आई0आई0, नेपाल हाऊस, राजपुर रोड, देहरादून	सदस्य
	8.	अध्यक्ष, कुमाऊँ गढ़वाल चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज चैम्बर हाउस, इण्ड0 एरिया, बाजपुर रोड, काशीपुर	सदस्य
	9.	प्रेसीडेन्ट, उत्तराखण्ड होटल एसोसियेशन, देहरादून	सदस्य
कृषि	10.	संयुक्त निदेशक (नियोजन), कृषि निदेशालय, नंदा की चौकी, प्रेमनगर, देहरादून	सदस्य
श्रम	11.	उप श्रमायुक्त, गढ़वाल क्षेत्र, 298, हिमगिरी विहार, अजबपुर खुर्द, देहरादून	सदस्य
परिवहन	12.	चीफ इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इंजीनियर, उत्तर रेलवे, बडौदा हाऊस, नई दिल्ली	सदस्य

शैक्षणिक एवं अनुसंधान	13.	विभागाध्यक्ष, विद्युत अभियन्त्रण विभाग, गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर	सदस्य
	14.	असिस्टेन्ट प्रोफेसर, डिपार्टमेन्ट ऑफ इकोनोमिक, दून विश्वविद्यालय, देहरादून	सदस्य
उपभोक्ता प्रतिनिधि	15.	श्री एस0 पी0 सिंह राघव, पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि0, टाईप–VI/1, यूपीसीएल ऑफिसर्स कॉलोनी, ऊर्जा भवन कॉम्पलेक्स, कॉवली रोड, देहरादून	सदस्य
	16.	श्री राजीव कुमार अग्रवाल, 32, इन्दर रोड, डालनवाला, देहरादून	सदस्य
गैर सरकारी संगठन	17.	श्री प्रकाश रावत, जय नन्दा वैलफेयर सोसाईटी (NGO), फ्लैट नं0–06, लेन नं0–9, देवऋषि एनक्लेव, देहराखास, देहरादून	सदस्य

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 88 के प्राविधानान्तर्गत सलाहकार समिति का दायित्व आयोग को निम्न बिन्दुओं पर सलाह देना है:–

(i) major questions of policy;

(ii) matters relating to quality, continuity and extent of service provided by the licensees;

(iii) compliance by licensees with the conditions and requirements of their licence;

(iv) protection of consumers interest; and

(v) electricity supply and overall standards of performance of utilities.

विद्युत सलाहकार समिति का कार्यकाल इस विज्ञप्ति के जारी होने की तिथि से एक वर्ष होगा, जब तक कि किसी सदस्य की नियुक्ति विनियम में विहित रीति से इससे पूर्व समाप्त न कर दी जाय।

आयोग की आज्ञा से,
नीरज सती,
सचिव।

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी

निजी भूमि अधिग्रहण हेतु अध्याय 4, धारा 11 के अन्तर्गत प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रकाशन।

23 दिसम्बर, 2019 ई0

संख्या–1733(2019–20)–मैसर्स एसजेवीएन लिमिटेड, जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना–44 मेगावाट मोरी के द्वारा जनपद उत्तरकाशी के क्षेत्रान्तर्गत स्थित जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना–44 मेगावाट मोरी के निर्माण के लिए भू–अर्जन पुर्नवासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर व पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (सं0 30, वर्ष 2013) अध्याय 4, की धारा 11 के अन्तर्गत समुचित सरकार द्वारा इस आशय से दिनांक 3.08.2019 को गजट नोटिफिकेशन की अधिसूचना जारी की गयी थी। जिसमें धारा–15 के अन्तर्गत प्रभावित कास्तकारों के आक्षेपों की सुनवायी की गयी। सुनवायी के पश्चात् संशोधित सूची तैयार कर पुनः अन्तिम रूप से अधिसूचित किया जा रहा है। जिसका विवरण अग्रसारित है:–

मौजा /ग्राम : तल्ला, परगना मोरी, जिला उत्तरकाशी

क.सं.	खाता न0	नाम कास्तकार मद वल्दियत व निवासी	वर्ग	खसरा सं0 / प्लाट सं0	अर्जित होने वाली भूमि का क्षेत्रफल (हे0 में)
1	2	3	4	5	6
1	3	कुन्दनसिंह/खिन्तू/सा.दे.	1–क	1535	0.036
				1536	0.009
				1537	0.030
				1540	0.018
				1541	0.024
				1543	0.016
				1534	0.034
		योग		**7**	**0.167**
2	5	कौरसिंह/धनीराम/सा.दे, जबरसिंह/बादर सिंह सह खा0–1/ग्राम सावणी फ0 1420	1–क	2002	0.045
				2003	0.014
				2024	0.026
				2025	0.031
				2035	0.015
				2036	0.020
				2037	0.023
				2038	0.009
				2040	0.025
		योग		**9**	**0.208**
3	6	जयपालसिंह/दर्बी सिंह/सा. दे	1–क	1523	0.009
				1524	0.021
				1525	0.028
				1526	0.023
				1527	0.040
				1958 ब	0.038
		योग		**6**	**0.159**
4	7	जयवीर सिंह/शूरवीर सिंह/पांवतल्ला, विजेन्द्री देवी/ जयवीर सिंह, दिनेश/जयवीर सिंह पांवतल्ला, भरत सिंह/जगत सिंह पांवतल्ला सा0 रविन्द्र नेगी/ पूरण सिंह नेगी ग्राम धिवरा त0 पुरोला मीना/सुखवीर ग्राम बलाडी त0 बडकोट, सुनीता/जबर सिंह चकचन्देली त0 पुरोला, प्रकाशी/अनिल कुमार ग्राम सुनारा त0 बडकोट	1–क	1326	0.028
				1867	0.031
				1868	0.035
				1869	0.026
				2206	0.011
				2208	0.113
				2210	0.014
				2213	0.034
				1635	0.020
				2212 म0	0.031
				2209	0.114
				2215	0.021
		योग		**9**	**0.478**

1	2	3	4	5	6
5	20	भौपाल सिंह/धन सिंह , दिनेश प्रसाद/कलीराम खाबलीसेरा		1632	0.063
				1633	0.026
				1634	0.009
				1637	0.013
		योग		**4**	**0.111**
6	8	जिनेन्द्र सिंह/शूरवीर सिंह ग्राम खाबलीसेरा त0 पुरोला		1514	0.045
				1529	0.020
				1530	0.035
				1531	0.025
		योग		**4**	**0.125**
7	27	विमलादेवी/दीपराम पांवतल्ला	1–क	1971	0.029
				1972	0.054
				1974	0.100
				1975	0.045
				1976	0.045
				1977	0.046
				1983	0.031
				1984	0.016
		योग		**8**	**0.366**
8	9	श्रीमती सिली/पदमसिंह/पुत्री जोत सिंह आगमजीत/ सा.दे.	1–क	1332	0.103
				1959 ब	0.016
		योग		**2**	**0.119**
9	11	टिकम सिंह/बालक राम/ग्राम ढाटमीर, अतर सिंह/ बालकराम/ग्राम ढाटमीर, नीलदेई/जुद्धवीर सिंह/ ग्राम ढाटमीर, टीकम सिंह/किताबसिंह/पांवतल्ला, अतर सिंह/किताब सिंह/पांवतल्ला ,	1–क	1515	0.041
				1516	0.078
				1517	0.015
				1519	0.018
				1554	0.034
				1555	0.016
				1564	0.038
				1639	0.014
				1641	0.025
				1960	0.034
				2187	0.006
				2189	0.049
				2190	0.005
				2196 म0	0.051
				2199	0.010
				2201	0.036
				2203	0.010
				1961	0.035
				1962	0.060
				1970	0.040
				1997	0.070
				1998	0.024
				1999	0.058
				2278	0.045
				2279	0.014
		योग		**25**	**0.826**

1	2	3	4	5	6
10	12	नीलानन्द/रवि सिंह/पांवतल्ला, अतर सिंह/गौर सिह/ पांवतल्ला, बालकराम/गौर सिंह/पांवतल्ला, नैदर सिंह/ धन सिंह/पांवतल्ला, कृपाल सिंह, हाकम सिंह/नत्थी सिंह, उतम सिंह	1–क	1508	0.050
				1509	0.005
				1510	0.038
				1511	0.050
				2008	0.066
				2009	0.021
				2013	0.093
		योग		**7**	**0.323**
11	14	फतेह सिह/श्यालक सिंह/पांवतल्ला, जयेन्द्र सिं/ श्यालक सिंह/पांवतल्ला, सिलीराम/श्यालक सिंह/ पांवतल्ला, चन्द्रदेई/श्यालक सिंह/पांवतल्ला, लायवर सिंह/ जबर सिंह/पांवतल्ला, रामलाल उम्र 15 साल/जबर सिंह, सं0 दादी जिमला/पांवतल्ला, कृपाल सिह/नत्थी सिंह/ पांवतल्ला, हाकमसिंह/नत्थीसिंह/पांवतल्ला, केदार सिंह/ जीत सिंह/पांवतल्ला, सुरत सिंह/सुखजीत/पांवतल्ला, जीत सिह, आगम सिंह व जीत/पांवतल्ला	1–क	2035	0.006
		योग		**1**	**0.006**
12	1	इन्दरा देवी/हीरामणी जोशी/ग्राम तेगड़ा(सुकडाला)	1–क	2023	0.015
				2026	0.026
				2027	0.015
				2030	0.018
				2031	0.014
				2033	0.020
				2029 ब	0.009
				2029 अ	0.010
		योग		**7**	**0.127**
13	16	फते सिंह/श्यालक सिंह/पांवतल्ला, जयेन्द्र सिंह/ श्यालक सिंह/पांवतल्ला, सिलीराम/श्यालकसिंह/ पांवतल्ला,चन्द्रदेई/श्यालक सिंह/पांवतल्ला,/देवराज, मेघराज, हंसराज/लायबर सिंह/सुनीदेवी/लायबर सिंह पांवतल्ला, रामलाल उम्र 15 साल/जबर सिंह सं0 दादी जिमलादेवी/पांवतल्ला, फतेह सिंह/उदी सिंह हि0/पांवतल्ला		1276	0.118
		योग		**1**	**0.118**
14	17	फते सिंह/श्यालक सिंह/पांवतल्ला, जयेन्द्र सिंह/ श्यालक सिंह/पांवतल्ला, सिलीराम/श्यालकसिंह/पांवतल्ला, चन्द्रदेई/श्यालक सिंह/पांवतल्ला, देवराज, मेघराज, हंसराज/लायबर सिंह/सुनीदेवी/लायबर सिंह/पांवतल्ला, रामलाल उम्र 15 साल/जबर सिंह सं0 दादी जिमलादेवी/ पांवतल्ला, फतेह सिंह/उदी सिंह 1/2 हि0/पांवतल्ला, कृपाल सिंह/नत्थी सिंह व उतिम सिंह/पांवतल्ला, हाकम सिह/नत्थी सिंह व उतिमसिंह/पांवतल्ला, जमोत्री/ नत्थी सिंह व उतिमसिं/पांवतल्ला, केदार सिंह/ सुखजीत सिंह2पांवतल्ला, सूरत सिह/सुखजीत सिंह/ पांवतल्ला, लखमदेई/इन्द्र सिंह 1/4 हि0/पांवतल्ला, श्रीमती सिली पत्नी पदम सिंह पुत्री जोत सिंह/पांवतल्ला, बन्नादेवी/सुलुकरामसह खा0–1/ग्राम आसेला फ0 1420	1–क	1570	0.020
				1571	0.020
				1572	0.010
				1956	0.039
				1957	0.035
				2214	0.086
				1958अ	0.038
				1959 अ	0.040
				1963	0.059
				1964	0.026
		योग		**10**	**0.373**

1	2	3	4	5	6
15	15	फते सिंह/श्यालक सिंह/पांवतल्ला, जयेन्द्र सिंह/श्यालक सिंह/ पांवतल्ला, सिलीराम/श्यालकसिंह/पांवतल्ला, चन्द्रदेई/ श्यालक सिंह/पांवतल्ला, देवराज, मेघराज, हंसराज/लायबर सिंह/ सुनीदेवी/लायबर सिंह/पांवतल्ला, रामलाल/जबर सिंह सं0 दादी विमला/पांवतल्ला	1–क	1965	0.058
				1966	0.043
				1967	0.136
				1968	0.050
				2034	0.013
		योग		**5**	**0.300**
16	21	भौपाल सिंह/स्यालक सिंह/पांवतल्ला, भौपाल सिंह/ मण्डलसिंह/पांवतल्ला, स्यालक सिंह/मण्डलसिंह/पांवतल्ला, बादरसिंह/मण्डलसिह 1/2 हि/पांवतल्ला, जयपाल सिंह/दर्वीसिंह 1/2 हि0/ पांवतल्ला, फतेसिंह/श्यालक राम/पांवतल्ला, देवराज, मेघराज, हंसराज/लायबर सिंह/सुनीदेवी/लायबर सिंह/ पांवतल्ला, रामलाल/जबरसिंह सं0 दादी विमला/पांवतल्ला, जयन्द्र सिंह/श्यालकरा/पांवतल्ला, सिलीराम/श्यालक राम/ पांवतल्ला, चन्द्रदेई/श्यालक राम/पांवतल्ला, नेगी सिंह, ठगी सिंह, भूलदेई/भौपाल सिंह, बादर सिंह श्रीमती विन्द्रादेवी/कलम दास, कलम दास/भागदास, रोहन/कलमदास, नीधि/कलमदास ग्राम नानई त0 मोरी श्रीमती शारदादेवी/रविन्द्र सिंह, रविन्द्र सिंह/ सोबत सिंह, मोनिका/रविन्द्र सिंह, विवेक/रविन्द्र सिंह, आयुष/ रविन्द्र सिह ग्राम डोभाल गांव त0 मोरी	1–क	1518	0.069
				1521	0.015
				1522	0.006
				1988	0.044
				1991	0.011
				1992	0.064
				1993	0.060
				2014	0.048
				2015	0.043
				2282	0.023
				2283	0.025
				2284	0.019
				1989	0.036
				1990 म0	0.004
				1990	0.020
		योग		**12**	**0.487**
17	23	मूर्ति सिंह/नैदर सिंह/पांवतल्ला, मेम्बर सिंह/नैदर सिंह, पांवतल्ला, खजान सिंह/नैदर सिंह/पांवतल्ला, रजनीदेवी/ केदारदत्तसह खा0–2/ग्राम जखोल फ0 1421, रजूड़ी/ मारकण्डेय सिंह सह खा0–2/पांवतल्ला फ0 1424 बरदानदेवी/राय सिंह कासला/सीलिराम जखोल	1–क	1512	0.011
				1513	0.100
				1556	0.031
				1557	0.019
				1640	0.021
				2178	0.006
				2179	0.006
				2180	0.078
				2181	0.013
				2191	0.083
				2193	0.016
				2194	0.039
				2200	0.069
				2205	0.033
				1994	0.006
				1995	0.020
				2000	0.018
				2001	0.028
				2006	0.041
				2007	0.050
		योग		**20**	**0.688**
18	24	मोहन सिंह/केवल सिंह/पांवतल्ला, जयचन्द/केवलसिं/पांवतल्ला, सुन्दर सिह/बालकराम/पांवतल्ला, केदार सिंह/सुखजीत सह खोतेदार–1/पांवतल्ला, मारकण्डी सिंह/स्यालक सिंह सह खातेदार–2/पांवतल्ला	1–क	1533	0.099
				1545	0.043
				1947	0.008
				1950	0.025
				1951	0.019
				1952	0.020
				1953	0.005
		योग		**7**	**0.219**

1	2	3	4	5	6
19	1 (NZA)	अतरसिंह, बालक सिंह पुत्र रवी सिंह नीला सिंह पुत्र गौरसिंह, नैदर सिंह पुत्र धन सिंह ग्राम पांवतल्ला।	5(1–ख)	1496	0.010
				1497	0.016
				1499	0.033
				1500	0.070
				1506	0.054
				1507	0.018
				2004	0.016
				2011	0.006
		योग		**8**	**0.223**
20	2 (NZA)	टिकम देई पत्नी काशीराम, टीकम सिंह, अतर सिंह पुत्र बालकराम ग्राम पॉवतल्ला	5(1–ख)	1638	0.016
				1642	0.011
				1644	0.003
				2197	0.035
				2202	0.010
				2280	0.043
				2281	0.008
		योग		**7**	**0.126**
21	3 (NZA)	मूर्ति सिंह, मेम्बर सिंह, खजान सिंह पुत्र नैदर सिंह, ग्राम पॉव तल्ला	5(1–ख)	2195	0.015
		योग		**1**	**0.015**
22	6 (NZA)	सैरू पुत्र बेलमू, बचनूजुद्धवीरू पुत्र सुरपालु, नरपालु पुत्र कमदू निवासी ग्राम पॉवतल्ला	5(1–ख)	2182	0.044
		योग		**1**	**0.044**
23	9 (NZA)	जयवीर सिंह पुत्र शूरवीर सिंह निवासी ग्राम पॉवतल्ला	5(1–ख)	2211	0.006
				1626	0.005
		योग		**2**	**0.011**
24	1 (NZA)	जयवीर सिंह पुत्र शूरवीर सिंह निवासी ग्राम पॉवतल्ला		1636	0.005
		योग		**1**	**0.005**
25	11	टिकम सिंह/बालकराम/ग्राम ढाटमीर, अतर सिंह/बालकराम/ ग्राम ढाटमीर, नीलदेई/जुद्धवीर सिंह/ग्राम ढाटमीर, टीकम सिंह/ किताब सिंह/पांवतल्ला, अतर सिंह/किताब सिंह/पांवतल्ला,	1–क	2196 म0	0.051
					0.051
26	3 (NZA)	मूर्ति सिंह, खजान सिंह मैम्बर सिंह पुत्र नैदर सिंह ग्राम पांवतल्ला		2192	0.015
		योग		**1**	**0.015**
27	24	मोहन सिंह/जयचन्द सिंह/केवलसिं/पांवतल्ला, सुन्दर सिह/ बालकराम/पांवतल्ला, केदार सिंह/सुखदीप सह खोतेदार–1/ पांवतल्ला, मारकण्डी सिंह/स्यालक सिंह सहखातेदार–2/ पांवतल्ला		1948	0.030
		योग		**1**	**0.030**
28	14	फते सिंह, जयेन्दर सिंह, सिलीराम पुत्र स्यालकराम, चन्द्रदेई स्यालकसिंह/पांवतल्ला, देवराज, मेघराज, हंसराज/लायबर सिंह/ सुनीदेवी/लायबर सिंह/सं0 दादी जिमला/पांवतल्ला, रामलाल, कृपाल सिंह/नत्थी सिंह/पावंतल्ला हाकम सिंह/ जीतसंह/पावंतल्ला, केदारसिंह/जीत सिंह पांवतल्ला, सूरतसिंह/सुखजीत/पांवतल्ला, जीत सिंह आगम सिंह व जीत/पावंतल्ला		2032	0.006
		योग		**1**	**0.006**
		कुल योग			

अर्जित होने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे0 में) **5.726**

परियोजना के लिए अधिगृहित की जाने वाली भूमि से सम्बन्धित अभिलेख जिलाधिकारी कार्यालय, उत्तरकाशी, उप जिलाधिकारी, पुरोला, तहसीलदार, मोरी, ग्राम प्रधान तल्ला, मल्ला, सुनकुण्डी एवं धारा के पास उपलब्ध है, जिसका कोई इच्छुक संस्था/व्यक्ति अवलोकन कर सकता है। इसकी प्रति राज्य सरकार की वेबसाइट www.ua.nic.in उत्तरकाशी पर उपलब्ध है।

स्थान : उत्तरकाशी

दिनांक : दिसम्बर, 2019

ह0 (अस्पष्ट),
सक्षम प्राधिकारी (भू0अ0),
अपर जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, देहरादून

नियुक्ति आदेश

19 दिसम्बर, 2019 ई0

पत्रांक/6385/आयु0रा0क0उत्तरा0/स्था0अनु0/2019–20/रा0कर/दे0दून–उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा–2016 के आधार पर वाणिज्य कर विभाग (वर्तमान में राज्य कर विभाग), उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी (पूर्व पदनाम–वाणिज्य कर अधिकारी), वेतनमान ₹ 9,300–34,800+ग्रेड वेतन ₹ 4,600 (वेतन मैट्रिक्स लेवल–7) के पद पर नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी सुश्री ईशा पुत्री स्व0 अनिल गोयल, पता–म0नं0 702, सेक्टर–2, पंचकुला, हरियाणा–134112 को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से नियुक्त करते हुए, 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है तथा अग्रिम आदेशों तक कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, जोगीवाला, मसूरी बाईपास रोड, नत्थनपुर (पुलिया नं0–6), देहरादून से सम्बद्ध किया जाता है।

2. उक्त नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई एवं औपबन्धिक है तथा यदि चिकित्सा परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन, शैक्षिक अर्हता तथा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण–पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो यह नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।
3. उक्त पद की सेवाएँ "उत्तराखण्ड वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली–2009" तथा शासन के द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाने वाली सेवा शर्तों से विनियमित होगी।
4. विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु निर्धारित तिथियों में विभागीय प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा।
5. विभागीय प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में प्रशिक्षण हेतु/विभाग में तैनाती के सन्दर्भ में आदेश पृथक से निर्गत किए जायेंगे।
6. आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड जोगीवाला, मसूरी बाईपास रोड, नत्थनपुर (पुलिया नं0–6), देहरादून के कार्यालय में योगदान करने हेतु कोई यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।
7. योगदान करते समय अभ्यर्थी को निम्नानुसार सूचनाएँ/प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे:–
   (i) अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधीन अब तक की गई सेवा के सम्बन्ध में घोषणा–पत्र।
   (ii) समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति की घोषणा, जिसके वे स्वामी हों।
   (iii) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का घोषणा–पत्र/शपथ–पत्र।
   (iv) दो राजपत्रित ऐसे अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रस्तुत चरित्र प्रमाण–पत्र।
   (v) शैक्षिक योग्यता, आयु, जाति प्रमाण–पत्र एवं निवास प्रमाण–पत्र से सम्बन्धित मूल प्रमाण–पत्र एवं उनकी एक–एक प्रमाणित प्रति।

(vi) लिखित रूप में एक "Under Taking" कि यदि पुलिस सत्यापन, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन तथा चिकित्सा परीक्षण के पश्चात् उन्हें सरकारी सेवा के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो उनकी यह नियुक्ति निरस्त समझी जाय।

(vii) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण–पत्रों की जाँच सम्बन्धित जिला अधिकारियों से कराये जाने के उपरान्त यदि कोई प्रमाण–पत्र जाली/त्रुटिपूर्ण पाया गया तो सम्बन्धित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

(viii) प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा।

(ix) इण्डियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़ जाने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र।

8. परिवीक्षा अवधि के दौरान आप द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा।

9. यह नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में लम्बित रिट याचिका संख्या–195/2019 (एस0बी0) श्वेता शर्मा बनाम् उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य तथा रिट याचिका संख्या–202/2019 (एस0बी0) सतीश चन्द्र जोशी बनाम् उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले मा0 उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हैं तो प्रत्येक दशा में दिनांक 15.01.2020 तक कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, पता–जोगीवाला, मसूरी बाईपास रोड, नत्थनपुर (पुलिया नं0–6), देहरादून में अपने समस्त मूल प्रमाण–पत्रों सहित उपस्थित होकर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें, अन्यथा यह समझा जायेगा कि आप उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार आपके अभ्यर्थन/नियुक्ति को निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

सौजन्या,

आयुक्त, राज्य कर,

उत्तराखण्ड।

कार्यालय राज्य कर आयुक्त, उत्तराखण्ड
(विधि–अनुभाग)

21 दिसम्बर, 2019 ई0

ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य0), राज्य कर,

देहरादून/हरिद्वार/रुड़की/रुद्रपुर/हल्द्वानी सम्भाग।

पत्रांक 6438/रा0कर आयु0 उत्तरा0/विधि–अनुभाग/Noti. Vo. II/2019–20/देहरादून–उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग 8 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 912/2019/4(120)/XXVII(8)/2019, दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या 796/2017, दिनांक 11 अक्टूबर, 2017 में संशोधन किया गया है।

उपरोक्त अधिसूचना की प्रति इस आशय से प्रेषित है कि उक्त की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ समस्त कर–निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तथा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को सूचनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

वित्त अनुभाग–8
अधिसूचना

17 दिसम्बर, 2019 ई0

संख्या 912/2019/4(120)/XXVII(8)/2019–चूँकि, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 123 के उपनियम (2) सपठित उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम–123 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या 796/2017/9(120)/XXVII(8)/2017, दिनांक 11 अक्टूबर, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात्–

उक्त अधिसूचना में–

(i) प्रारम्भिक पैराग्राफ के पश्चात् क्रम संख्या (क) और (ख) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रख दी जायेंगी, अर्थात्–

(क) आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला, राज्य सरकार का एक अधिकारी, और

(ख) मुख्य आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला, केन्द्रीय सरकार का एक अधिकारी।

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अक्टूबर, 2019 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

आज्ञा से,

अमित सिंह नेगी,

सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of "the Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No. 912/2019/4(120)/XXVII(8)/2019**, dated December 17, 2019 for general information.

NOTIFICATION

December 17, 2019

No. 912/2019/4(120)/XXVII(8)/2019–WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 123 of the Central Goods and Services Tax Rule, 2017 read with rule 123 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Rule, 2017, the Governor is pleased to allow to make the following amendment in the notification No. 796/2017/9(120)/XXVII(8)/2017, dated 11th October, 2017, namely:–

In the said Notification–

(i) After the opening paragraph for serial no. (a) and (b) and the entries relating thereto, the following entries shall be substituted; namely:–

(a) One officer of the State Government, to be nominated by the Commissioner; and

(b) One officer of the Central Government, to be nominated by the Chief Commissioner.

2. This Notification shall be deemed to have come into force from the 1st day of October, 2019.

By Order,

AMIT SINGH NEGI,

Secretary.

विपिन चन्द्र,

अपर आयुक्त राज्य कर,

मुख्यालय, देहरादून।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 01 हिन्दी गजट/09–भाग 1–क–2020 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 04 जनवरी, 2020 ई0 (पौष 14, 1941 शक सम्वत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), अल्मोड़ा

सूचना

04 दिसम्बर, 2019 ई0

संख्या 882/त्रि0पं0उप नि0/2019–राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून की अधिसूचना संख्या–3262/रा0नि0आ0अनु0–2/2812/2019, दिनांक 03 दिसम्बर, 2019 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में, मैं, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, अल्मोड़ा संलग्न प्रारूप–1, 2 व 3 में उल्लिखित प्रधान ग्राम पंचायत एवं सदस्य ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत के रिक्त पदों/स्थानों पर उप निर्वाचन निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय–सारिणी के अनुसार सूचित करता हूँ:–

नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का दिनांक व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जाँच का दिनांक व समय	नाम वापसी हेतु दिनांक व समय	निर्वाचन प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
1	2	3	4	5	6
09.12.2019 एवं 10.12.2019 (पूर्वान्ह 10:00 बजे से अपरान्ह 05:00 बजे तक)	11.12.2019 (पूर्वान्ह 10:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	12.12.2019 (पूर्वान्ह 10:00 बजे से अपरान्ह 01:00 बजे तक)	12.12.2019 (अपरान्ह 01:30 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	19.12.2019 (पूर्वान्ह 08:00 बजे से अपरान्ह 05:00 बजे तक)	21.12.2019 (पूर्वान्ह 08:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

2. सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस निर्वाचन कार्यक्रम का व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जायेगा तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायतों में मुनादी द्वारा भी सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जायेगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और सम्बन्धित तहसील के सूचना पटों में यह कार्यक्रम प्रकाशित किए जायेंगे।

3. नाम निर्देशन पत्रों की बिक्री सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जायेगी।

4. उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित 2019) के अधीन रहते हुए उ0प्र0 पंचायत राज (सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) एवं उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) तथा रिट याचिका संख्या 2302 (एम0/एस0)/2019 श्रीमती पिंकी देवी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.09.2019 के अनुसार इन उप निर्वाचनों में वही निर्वाचन प्रक्रिया अपनाई जायेगी, जो आयोग द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है। सदस्य ग्राम पंचायत एवं प्रधान ग्राम पंचायत के पदों/स्थानों के विषय में नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जाँच, नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटित करने का कार्य, मतों की गणना एवं परिणाम की घोषणा सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत के मुख्यालय पर की जायेगी।

प्रारूप–1

प्रधान ग्राम पंचायत के रिक्त पदों/स्थानों का विवरण

जनपद का नाम–अल्मोड़ा

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	आरक्षण की स्थिति
1	2	3	4
1.	1. हवालबाग	महतगाँव	अनु0 जाति
2.		केस्ता	अनु0 जाति
3.		सैंज	अनु0 जाति
4.		चाण	अनु0 ज0 जा0
5.		भाटगाड़माफी	अनारक्षित
6.	2. लमगड़ा	क्वेटा (सुरखाल)	अ0 पि0 वर्ग
7.	3. द्वाराहाट	दलमोटी	अ0 जा0
8.		डढोली	अ0 जा0
9.		सिमोली	अ0 जा0 महिला
10.		काण्डे	अ0 जा0 महिला
11.		उभ्याड़ी	अ0 जा0 महिला
12.	4. भिकियासैंण	बेल्टी	अ0 जा0 महिला
13.		बम्योली	अ0 पि0 वर्ग
14.		पड्यूला	अनु0 जा0
15.		खरक	अनु0 जा0
16.		निगराली	अ0 जा0 महिला
17.	5. मैसियाछाना	पम्या	अनारक्षित
18.	6. चौखुटिया	माड़कूबाखल	अ0 पि0 वर्ग
19.		बोहरागाँव	अनु0 जा0
20.		जैंठा	अनु0 जा0
21.	7. ताड़ीखेत	पस्तौड़ावार	अन्य महिला
22.		नैटी	अनु0 जा0
23.		पालीनदूली	अनु0 जा0
24.		खड़खेत	अनु0 जा0
25.		डढूली	अनु0 जा0 महिला

1	2	3	4
26.		सलोनी	अनु0 जा0 महिला
27.	8. धौलादेवी	आरासल्पड	अ0 जा0 महिला
28.		रोल	अ0 जा0
29.		मलाड़	अ0 जा0
30.	9. ताकुला	पोखरी	अनु0 जा0 महिला
31.	10. स्याल्दे	गुदलेख	अ0 पि0 व0 महिला
32.		पटलगाँव	अ0 पि0 वर्ग
33.	11. सल्ट	घांघली	अन्य महिला
34.		जालीखान	अन0 जा0 महिला

प्रारूप–2

सदस्य ग्राम पंचायत के रिक्त पदों/स्थानों का विवरण

जनपद का नाम–अल्मोड़ा

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायतों की संख्या	रिक्त प्रादेशिक निर्वाचन की कुल संख्या	आरक्षण की स्थिति
1	2	3	4	5
1.	हवालबाग	118	710	ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की अन्तिम प्रकाशन सूची 2018–19 रूप पत्र–2 के अनुसार
2.	लमगड़ा	97	578	
3.	द्वाराहाट	119	646	
4.	भिकियासैंण	93	474	
5.	भैसियाछाना	52	227	
6.	चौखुटिया	95	487	
7.	ताड़ीखेत	129	825	
8.	धौलादेवी	93	388	
9.	ताकुला	85	501	
10.	स्याल्दे	93	526	
11.	सल्ट	128	636	

प्रारूप–3

सदस्य क्षेत्र पंचायत के रिक्त पदों/स्थानों का विवरण

जनपद का नाम–अल्मोड़ा

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	रिक्त प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) का क्रमांक व नाम	आरक्षण की स्थिति
1.	धौलादेवी	01–धूरा	अ0 जा0 महिला

ह0 (अस्पष्ट),
जिला मजिस्ट्रेट/
जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0),
अल्मोड़ा।

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0), बागेश्वर

सूचना

04 दिसम्बर, 2019 ई0

पत्रांक 554/पं0चुना0/उप निर्वा0/2019–20–राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून की अधिसूचना संख्या–3262/रा0नि0आ0अनु0–2/2812/2019, दिनांक 03 दिसम्बर, 2019 के क्रम में, मैं, रंजना राजगुरू, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0), जनपद–बागेश्वर के विकास खण्ड, बागेश्वर/कपकोट/गरूड़ के सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत के त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन–2019 के पश्चात् अधिसूचना जारी होने की तिथि तक विभिन्न प्रकार से रिक्त रह गये पदों/स्थानों, जो किसी न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न हो, पर उप निर्वाचन कराये जाने हेतु निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय–सारणी के अनुसार उप निर्वाचन कराये जाने हेतु अधिसूचित करती हूँ:–

नाम निर्देशन पत्र जमा करने का दिनांक व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जाँच का दिनांक व समय	नाम वापसी हेतु दिनांक व समय	निर्वाचन प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
1	2	3	4	5	6
09.12.2019 एवं 10.12.2019 (पूर्वान्ह 10:00 बजे से अपरान्ह 05:00 बजे तक)	11.12.2019 (पूर्वान्ह 10:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	12.12.2019 (पूर्वान्ह 10:00 बजे से अपरान्ह 01:00 बजे तक)	12.12.2019 (अपरान्ह 01:30 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	19.12.2019 (पूर्वान्ह 08:00 बजे से अपरान्ह 05:00 बजे तक)	21.12.2019 (पूर्वान्ह 08:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

2. संबंधित निर्वाचन अधिकारी उक्त रिक्त पदों का विवरण देते हुए अपने स्तर से पूर्व सूचना निर्गत कर उसकी प्रति अद्योहस्ताक्षरी को तत्काल प्रेषित करेंगे तथा इस उप निर्वाचन कार्यक्रम का व्यापक प्रचार–प्रसार करायेंगे और संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में मुनादी द्वारा भी सर्वसाधारण को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से इसकी सूचना देना सुनिश्चित करेंगे। सार्वजनिक जानकारी हेतु संबंधित ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, तहसील कार्यालय/उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0)/मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय एवं जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी के सूचना पट्टों में इस कार्यक्रम को प्रकाशित करायेंगे।

3. उक्त उप निर्वाचन उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित 2019) के अधीन रहते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सदस्यों, प्रधानों और उप–प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) तथा रिट याचिका संख्या–2302/(एम0/एस0)/2019 श्रीमती पिंकी देवी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.09.2019 के अनुसार इन उप निर्वाचनों में वही निर्वाचन–प्रक्रिया अपनाई जायेगी, जो आयोग द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है। सदस्य ग्राम पंचायत एवं प्रधान ग्राम पंचायत के पदों/स्थानों के विषय में नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जाँच, नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटित करने का कार्य, मतों की गणना एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा क्षेत्र पंचायत के मुख्यालय पर की जायेगी।

4. जिला पंचायत के सदस्यों के निर्वाचन हेतु नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जाँच करने व नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटन का कार्य संबंधित जिला पंचायत के मुख्यालय पर होगा, किन्तु मतों की गणना संबंधित क्षेत्र पंचायतों के मुख्यालय पर होगी और निर्वाचन परिणाम जिला पंचायत मुख्यालय पर घोषित किए जायेंगे।

रिक्त पदों का विवरण

विकास खण्ड का नाम	पद/स्थान का नाम	कुल पद/ स्थान	रिक्त पद/ स्थान	रिक्ति का दिनांक	रिक्ति का कारण
बागेश्वर	प्रधान ग्राम पंचायत	182	04	त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन–2019 से	शिक्षा एवं आरक्षण से संबंधित अर्हता पूर्ण न करने के कारण
	सदस्य ग्राम पंचायत	1280	868		
कपकोट	प्रधान ग्राम पंचायत	119	01		
	सदस्य ग्राम पंचायत	863	501		
गरूड	प्रधान ग्राम पंचायत	106	08		
	सदस्य ग्राम पंचायत	774	414		

नोट–सदस्य, ग्राम पंचायत के कुल 1783 पद एवं प्रधान, ग्राम पंचायत के कुल 13 पद रिक्त है।

रंजना राजगुरू,
जिला मजिस्ट्रेट/
जिला निर्वाचन अधिकारी,
बागेश्वर।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 01 हिन्दी गजट/09–भाग 3–2020 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 04 जनवरी, 2020 ई0 (पौष 14, 1941 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

मेरे पिता स्व0 कंवरपाल नं. GS166708P DES के सेवा अभिलेखों में त्रुटि से मेरा नाम कबीर दास दर्ज है, जबकि मेरा वास्तविक नाम कविश कुमार है। भविष्य में मुझे कविश कुमार पुत्र स्व. कंवरपाल नाम से जाना जाये।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है।

कविश कुमार पुत्र स्व. कंवरपाल
निवासी ग्राम व पोस्ट तांशीपुर, रूडकी
जिला हरिद्वार।

सूचना

In my, all the documents [including but not limited to Aadhar card, driving license, PAN card, medical registration certificate, bank account including the passport (No.-Z2755169)] my father's name has been misspelt as Md. Ekbal Hussain. The correct spelling of his name is Md. Iqbal Hussain and it should be treated as such for all the future purpose.

समस्त विधिक औपचारिकतायें मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है।

Dr. Shahbaj Ahmad. B 18/4
HIHT Staff Quarter. Swami
Rama Himalayan University,
Dehradun 248016

सूचना

मैने अपना नाम नीलम बिष्ट से बदलकर निया ठाकुर कर लिया है भविष्य में मुझे निया ठाकुर पुत्री पान सिंह बिष्ट नाम से जाना व पहचान जायें।

समस्त विधिक औपचारिकतायें मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गयी है।

निया ठाकुर पुत्री श्री पान सिंह बिष्ट

निवासी–अकलनंदा कॉलोनी, तल्ली हल्द्वनी,

तहसील हल्द्वानी जिला नैनीताल

उत्तराखण्ड

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 01 हिन्दी गजट/09–भाग 8–2020 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।